खण्ड-179, अंक-1
सोमवार, 16 आश्विन, शक संवत् 1878
(8 अक्टूबर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
16 NOV 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक, सभा-मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्म राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८३)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री

प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल. श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुज़राम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील के काश्तकार को अधिवासी सीरदार बनने के लिए प्रार्थना

**१--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई के काश्तकारों की कोई दरख्वास्त सरकार के पास ऐसी आई है कि जिन खेतों पर वे १३५६ तथा १३५९ फसली से पूर्व और अब तक काबिज चले आ रहे हैं तथा कागजात सरकार में भी १३५६ व १३५९ फसली में बहैसियत कब्जेदार उनका नाम दर्ज है उन्हें अभी तक अधिवासी सीरदार नहीं बनाया गया? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सरकार के पास केवल एक काश्तकार की इस प्रकार की दरख्वास्त आई थी। जिलाधीश की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार ने यह निर्णय किया कि प्रार्थी उचित न्यायालय से अपने अधिकार फैसल करा लेवे।

अधिक वर्षा से हानि

**२--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५६ के प्रथम सप्ताह से १७ सितम्बर तक होने वाली अतिवृष्टि से प्रदेश में कितने जन, धन तथा पशु की हानि हुई है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---२ सितम्बर, १९५६ में अतिवृष्टि तथा तज्जनित बाढ़ से हुई हानि का विवरण इस प्रकार है :--

(१) जन हानि	.. ..	६३
(२) पशु हानि	.. ..	५८३
(३) फसल को हानि का अनुमानित मूल्य	..	१०,४०,३०,२०० रुपया
(४) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट गृहों का अनुमानित मूल्य	..	२,२०,१६,६५२ रुपया

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में कितने आदमियों के मरने की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वाराणसी ९, देवरिया २५, गोरखपुर ६, आजमगढ़ २, गाजीपुर २०, बलिया १, कुल ६३ हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार का ध्यान गैरसरकारी रिपोर्टों की ओर गया है जिसमे मरने वालों की संख्या सौ से ऊपर बताई गई है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, एक रिपोर्ट की ओर गया है कि एक ही जिले में सैकड़ों मरे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार ने उस रिपोर्ट के अनुसार फिर से जांच करवाने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री चरणसिंह---वह रिपोर्ट हमको गलत मालूम होती है। बहुत तफसील से सब जिलों से रिपोर्ट हमारे पास आयी है। इसलिये फिर से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार को इसकी सूचना मिली है कि अकेले देवरिया जिले की पडरौना तहसील में ३२ आदमियों की मौतें हुई हैं ?

श्री चरणसिंह---गनीमत है कि आपने अब ३२ ही रखा वैसे मैंने आपकी सैकड़ों की रिपोर्ट पढ़ी थी।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और दूसरे जिलों में सरकारी सूचनाओं से अधिक मौतें हुई हैं ?

श्री चरणसिंह---मैं तो इस तरह के इल्जामात को गलत मानता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतलायेगी कि बनारस जिले की चन्दौली तहसील में जो पशुओं और जानों की हानि हुई है वह उनकी लिस्ट में शामिल है ?

श्री चरणसिंह--- जी हां, शामिल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इस बाढ़ में नष्ट हुए गृहों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह---२ लाख से कुछ कम।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अतिवृष्टि से प्रदेश के किन-किन जिलों में हानि पहुंची है ?

श्री चरणसिंह---सितम्बर में आठ जिलों को हानि पहुंची है। इन में सब से ज्यादा हानि पहुंची है गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस और देवरिया को और उसके बाद आते हैं मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती और बलिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले में ६ मनुष्यों की जान गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जितनी हानि हुई है वह बतला दी गई है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यदि उसे चन्दोली में धन, जन और पशुओं के मरने की संख्या मालूम है और लिस्ट में उसके पास है, तो क्या वह बतलायेगी कि जगदीश सराय में क्या क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। शायद माननीय मुख्य मंत्री जी का विचार ऐसा है कि जो यह हानि हुई है और इसके लिये गवर्नमेंट ने जितना किया है और इस पर जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं, उन सब के सिलसिले में एक दिन या कुछ समय, जो यह सदन मुनासिब समझे, तय कर लिया जाय और उस पर बातचीत हो जाय।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मेरे पास सूचना ११ तारीख की है।

श्री चरणसिंह---तो ठीक है। मैं समझता हूं कि उस रोज सब बातें हो जायेंगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो माल मंत्री जी ने बात कही है वह तो ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में उन्हें हमारे सवाल को उड़ा देना ठीक नहीं। हमको जवाब तो सही देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---अभी उन्हें पूर्ण इन्फार्मेशन नहीं है, यह उनके कहने का मतलब होगा।

श्री राजनारायण---तो उनको सूचना मांगनी चाहिये थी और उसके बाद आपकी इजाजत से उन्हें दूसरी बात कहनी चाहिये थी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के मरे व्यक्तियों का नाम और पता क्या है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने मनुष्यों की मृत्यु हुई है ?

श्री चरणसिंह---इसका जवाब दिया जा चुका है। आंकड़े मुझे मालूम हैं लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी, जिलेवार बस्तियों और फस्लों की हानि का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---पशुओं की हानि इस प्रकार है---वाराणसी में ३२२, देवरिया में ७, गोरखपुर में २०, आजमगढ़ में ६, गाजीपुर में २२१, बलिया में १, और मिर्जापुर में ६। कुल योग ५८३।

धन की हानि इस प्रकार है---फसल को हानि (डैमेज टु क्राप) वाराणसी में ५० लाख के करीब, बस्ती में ८३ लाख, देवरिया में ३ करोड़, गोरखपुर में १ करोड़ २५ लाख, आजमगढ़ में १ करोड़ ४ लाख, गाजीपुर में ३ करोड़ और बलिया में १९ लाख ६ हजार दो सौ, मिर्जापुर में १२ लाख, बहराइच में ११ लाख २४ हजार के करीब। टोटल मैंने जैसा बतलाया क्राप का नुकसान हुआ १० करोड़ ४० लाख ३० हजार २०० रुपये का।

मकानों का जो नुकसान है वह इस प्रकार है--वाराणसी में ६४ लाख ५ हजार, बस्ती में ८३ हजार ५ सौ, देवरिया में ४० लाख, गोरखपुर में ४ लाख, आजमगढ़ में ८० लाख, गाजीपुर में २५ लाख , बलिया में ४ लाख ८५ हजार १ सौ ५२, मिर्जापुर में २ लाख ४० हजार और बहराइच में ३ हजार। कुल जोड़ हुआ २ करोड़ २० लाख १६ हजार ६ सौ ५२ रुपये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि देवरिया और आजमगढ़ में जिनका जानी नुकसान हुआ है उनके वारिसों को कुछ माली इमदाद दी गयी है या आइन्दा देने के लिये वायदा किया गया है ?

श्री चरणसिंह--इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि जिनकी जान गयी है उनके वारिसों को इमदाद देने की जरूरत ही पड़े। उनके पास जमींन है और दूसरी जायदाद है। तो उनको इमदाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सब को इमदाद देनी होगी।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह सूचना मुकम्मल है या और एकत्रित की जा रही है या यह अनुमान से बताया गया है इससे अधिक नुकसान होने का अन्देशा है ?

श्री चरणसिंह--यह मुकम्मल है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तहसील से यह इत्तला नहीं आयी कि वहां पर ११ जानवर बाढ़ से मर गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बस्ती जिले की ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतलायेगी कि जब माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि जगदीशपुर सराय चन्दौली तहसील में जो पशु मरे हैं उनकी सूचना सरकार को है और उसका नाम लिस्ट में शामिल है लेकिन लिस्ट को पढ़ते हुये उन्होंने जगदीशपुर सराय का नाम नहीं पढ़ा ?

श्री चरणसिंह--सब जिलों का नाम पढ़ा गया है।

श्री राजनारायण--जी, नहीं पढ़ा गया है।

श्री चरणसिंह--जी, उन्होंने वाराणसी का नाम पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष--मैंने स्वयं सुना है, उन्होंने वाराणसी का नाम पढ़ा था।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की अनुग्रह करेंगे कि सरकार की ओर से इस बात का प्रयास हुआ है कि अतिवृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह--ऐसी कोई कोशिश नहीं की गयी।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इस अतिवृष्टि के कारण क्षति पहुंची है धन की तो उस क्षति को आंकने के लिये किन-किन चीजों पर ध्यान दिया गया है। मसलन मकान हैं, फसल है और भी जो क्षति है तो उसको बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन चीजों को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह--मकान है तो मकानों की कीमत आंक ली गयी है और यह समझ लिया गया है कि वह जायदाद इतने की होगी। हर एक के यहां इतना जेवर, कपड़े और दूसरा सामान कितने का था यह आंकना नामुमकिन है और न यह हो सकता है और यह गैरजरूरी है कि इसकी तफसील में जाया जाय।

तारांकित प्रश्न

मछलीशहर तहसील के कृषि-आयकर दाता

*१--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर तहसील में कुल कितने व्यक्ति कृषि आयकर देते हैं और उनकी मालगुजारी कितनी-कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील मछलीशहर में १३६२ फसली में कृषि आय-कर देने वालों की संख्या ११ है। प्रत्येक की मालगुजारी के आकड़े संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६० पर)

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १३६२ फसली में कितने आदमियों को कृषि-आय-कर के लिये नोटिस दी गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--कितने आदमियों का मामला विचाराधीन है ?

श्री चरणसिंह--आपने जो सवाल किया था उसके आंकड़े इकट्ठे किये गये थे, यह नहीं है कि कृषि-आय-कर के मुताल्लिक कितने मुमकिन सवाल हो सकते थे।

झांसी जिले की मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसीलों से कांस उत्पाटन के संबंध में जांच समिति नियुक्त करने का विचार

*२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसील (झांसी) के ग्रामों में कांस उत्पाटन के लिये ट्रैक्टर कब चले थे ?

कृषिमंत्री (श्री हुकुमसिंह)--जिला झांसी की तहसील मऊरानीपुर में कांस उत्पाटन का कार्य करने के लिये ट्रैक्टर सीजन १९५१-५२ से १९५३-५४ तक तथा तहसील गरौठा में सीजन १९५१-५२ से १९५४-५५ तक चले थे।

*३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उक्त ग्रामों में से कितने ही ग्रामों में कांस फिर उग आया है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में ?

श्री हुकुमसिंह--सरकार के पास कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें ऐसा कहा गया है। इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार से किया है। इस कमेटी में भारत सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे।

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--पूरी जांच हो जाने पर सूचना मिल सकेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रस्ताव जो भेजा गया उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर आया या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह--तारीख तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी यह बतलावेंगे कि ग्रामवासियों की शिकायत की कोई सरकार की ओर से प्राथमिक जांच हुई ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह--अभी तो जांच के लिए कमेटी मुकर्रर कर रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शिकायत के सम्बन्ध में कांस इरैडिकेशन आफीसरों ने क्या रिपोर्ट दी है?

श्री हुकुमसिंह--मैं भारत सरकार के नुमायन्दे को इसमें लाकर जांच कराना चाहता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह--जो कांस उत्पाटन झांसी में हुआ है जिसकी शिकायतें आयी हैं कि कांस फिर से उगने लगा है तो क्या वहां सरकार फ्री आफ चार्ज फिर से उत्पाटन कराने के लिये तैयार है?

श्री हुकुमसिंह--पहले यह तय हो जाय कि फिर से कांस निकल आया है, फिर सोचा जायगा।

श्री राजनारायण--सरकार को इसकी सूचना कब मिली कि कांस फिर से उदय हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह--तारीख तो नहीं बता सकता, जब दरख्वास्तें मिलीं तभी सूचना हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या ग्रामवासियों की शिकायतों में कोई ऐसी शिकायत है कि जो कांस उग आया है वह दिखाई नहीं देता है और उसके लिये कमेटी की आवश्यकता है?

श्री हुकुमसिंह--मैंने तो शिकायत आने पर कमेटी मुकर्रर करना निश्चय किया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार कांस को समूल नष्ट करने के लिये ऐसे किसी प्रयोग पर विचार करेगी जैसे मट्ठे का प्रयोग है?

श्री हुकुमसिंह--वह जमाना गुजर गया जब मट्ठे से कांस मिट जाता था। मैंने जो कमेटी का प्रस्ताव किया है उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह भी है कि वह समूल नष्ट करने के लिये हमेशा के लिये उपाय सोचें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस कमेटी में कौन-कौन मेम्बर होंगे और कब तक वह स्थापित हो जायगी?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को लिखा है। पहले आप यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने नाम भी भेजे हैं या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने कमेटी के सम्बन्ध में भारत सरकार को जो प्रस्ताव किया है, वह प्रस्ताव क्या है?

श्री हुकुमसिंह--उनको लिखा गया है कि जो कांस निकाली गयी थी वह फिर से उगने लगी है, उसकी जांच के लिये उनका एक नुमाइन्दा होना चाहिये और अगर आपकी अनुमति हो तो कमेटी कायम कर दी जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी भी कोई शिकायत आयी है कि ट्रैक्टरों ने जो कांस की तोड़ाई की थी उसको कम गहराई से उखाड़ा था यानी जो खुदाई की वह १०-१२ इंच से कम की थी?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार के पास सरकार ने क्या अप्रोच किया?

श्री हुकुमसिंह---मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

विभिन्न जिलों में जून से अगस्त, १९५६ तक हुई वर्षा

*५---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रांत के प्रत्येक पूर्वी जिले में इस साल कितनी इंच वर्षा अब तक हो चुकी है और गत साल के वर्षों से अनुमानतः इस साल कितना कम एवं कितना अधिक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची नं० १ में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१ पर)

*६---श्री रामेश्वरलाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस साल किन-किन जिलों में कितना-कितना पानी बरसा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची नं० २ में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६२ पर)

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर अगस्त के बाद अब तक हुई वर्षा का भी आंकड़ा देवरिया जिले के सम्बन्ध में दे सकेंगे ?

श्री चरणसिंह---आपने अगस्त तक पूछा था तो अगस्त तक बतला दिया गया और यों तो मैं परसों था वहां, परसों सवेरे भी बारिश हुई थी ? तो उसके बाद के आंकड़े नहीं आये हैं अब तक।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पूर्व के किस जिले में विशेषतः कम से कम और अधिक से अधिक पानी अनुपाततः बरसा ?

श्री चरणसिंह---इस वर्ष अधिक से अधिक वर्षा पहली जून से लेकर ३१ अगस्त तक ३४.३८ इंच, मिर्जापुर में हुई, जो कि पिछले साल से, ६४ इंच कम थी। पिछले साल के आंकड़ों से जो मुकाबला कराया गया इससे कोई यह मतलब नहीं हो सकता कि इस साल कम हुई। पिछले साल भी असाधारण वर्षा हुई थी और पिछले साल से इस साल कम हुई। ये अगस्त तक के आंकड़े हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर गौर किया है कि इस साल जो ज्यादा बारिश हुई है वह ऐटम बाम्ब या हाइड्रोजन बाम्ब के एक्स प्लोजन की वजह से भी हो सकती है ?

श्री चरणसिंह---कितनी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं बारिश होने की, वह कम से कम गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है। गवर्नमेंट इसका जवाब देने में नाकाबिल है।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार यह सूचना देने की कृपा करेगी कि साधारण तौर पर इन जिलों में कितना पानी बरसता है और उससे कितना अधिक पानी इस वर्ष बरस गया ?

श्री अध्यक्ष---अगर सब जिलों के बारे में पूछेंगे तो बहुत बड़ा व्योरा हो जायगा।

श्री गेंदासिंह---वह केवल ७-८ जिलों के लिए प्रश्न किया गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं १६ जिले हैं। आप किसी खास जिले के बारे में सूचना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह---नहीं, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया जिन जिलों को सरकार क्षतिग्रस्त मानती है, उन्हीं के बारे में।

श्री चरणसिंह--एक सूचना तो मैं पहले यह दे दूं कि वह सवाल २० अगस्त को किया गया था और ३१ अगस्त तक के आंकड़े हमने मांग लिये थे।

आजमगढ़ में सामान्य वर्षा इन तीन महीनों के अन्दर २०.१९ इंच हुई। देवरिया में ३२ इंच हुई, वाराणसी में २८.३२ इंच हुई और गाजीपुर में २७.९५ इंच हुई।

*७--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--[२३ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिलाधीश आजमगढ़ को सगड़ी तहसील के अग्निपीड़ितों का प्रार्थना-पत्र

*८--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राज्य में आग से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिये कोई कमेटी का निर्माण हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

*९--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश आजमगढ़ को सगड़ी तहसील के कितने लोगों ने आग से अपना मकान और सम्पत्ति नष्ट होने के कारण सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र इस वर्ष दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मार्च १, १९५६ से जुलाई ३१ सन् १९५६ तक सगड़ी तहसील के ७ व्यक्तियों ने आग से सम्पत्ति और मकान के नष्ट होने के कारण सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर उन ७ व्यक्तियों के नाम और पते बतायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उनके नाम ये हैं--

श्री परदेशी--देवराखास, श्रीमती मुलहरी--देवराखास, श्री बरहू--देवराखास, श्री खादिम हुसेन--खातिबपुर, श्री जसोखा लाल--मसीरपुर, श्री सदलू--देवरा हरखपुर, और श्री बदलू--देवरा हरखपुर।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उनमें से कितने लोगों को सरकार ने सहायता की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--चार आदमियों को सहायता दी जा चुकी है और ३ के लिये विचाराधीन है।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या यह सही है कि जिन परिवारों के घरों में आग लग चुकी है और जिनके यहां खेती नहीं होती है तो क्या उनको तकावी नहीं दी जाती है यदि हां तो क्या उनको किसी और प्रकार से सहायता नहीं दी जाती है ?

श्री चरणसिंह--यह सही नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जिन चार व्यक्तियों को सहायता दी गयी है उनको दी गयी कुल रकम कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--९० रुपया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आज तक जिन परिवारों को क्षति पहुंची है वह कितनी क्षति है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो प्रार्थनापत्र उन लोगों ने दिये हैं उनमें क्षति निम्न प्रकार दिखायी गयी है--श्री परदेशी--२०० रुपया, श्रीमती मुलहरी--११६ रु०, श्री बरहू--६४ रु०, श्री खादिम हुसेन--२०० रु०, श्री जसोखा लाल--५०० रु०, श्री सदलू--५० रु०, और श्री बदलू--१० रु०।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जिनके पास भूमि नहीं है और अगर उनके घरों में आग लग जाती है तो उनको कोई तकावी नहीं दी जाती ?

श्री अध्यक्ष---इसका जबाव दिया जा चुका है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---मैं यह पूछना चाहता हूं कि तकावी उनको दी जा सकती है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---तकावी का मतलब है किसान को जो कर्जा दिया जाता है वह जमीन की जमानत पर, लिहाजा जिनके पास जमीन नहीं होगी उनको तकावी नहीं दी जा सकती और किस्म की सहायता दी जाती है जिसे ग्रेचयूट्स रिलीफ कहते हैं ।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आग लगने के कितने दिनों बाद उनको यह तकावी या सहायता दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---चार-पांच आदमियों को तो तभी जितनी जल्दी हो सका दी गयी लेकिन दो तीन आदमियों का मामला जिनकी बाबत हमने कहा कि वे विचाराधीन हैं उनमें बेशक देर हुई, ऐसा मालूम होता है और इसके ऊपर इनक्वायरी की जा रही है ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के कुछ आग से पीड़ित लोगों ने सीधे सरकार को भी प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

३० एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान

*१०---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में तीस एकड़ से ज्यादा जमीन कितने किसानों पर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उत्तर प्रदेश में ३० एकड़ से ज्यादा जमीन १७,९९० जोतों के किसानों पर है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मालमंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १७,९९० जोतों के किसानों में ३० एकड़ से जायद जितनी जमीन है, उसका कुल रकबा क्या है ?

श्री चरणसिंह---उनकी कुल जोत का रकबा १४ लाख ३८ हजार एकड़ के करीब है । आपने पूछा है कि ३० एकड़ से ज्यादा जोत वाले कितने हैं, तो यह १८ हजार में ३० का जरब देकर उसमें से घटा लीजिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि यह जो करीब १३ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन ३० एकड़ से ज्यादा वालों के पास है, उसको ५ एकड़ के हिसाब से ३ लाख भूमिहीन किसानों में बांट दें ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, किसी ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है । आपकी इजाजत से यह भी कह दूं कि हिसाब अगर्चे गलत लगाया गया है बहुत जल्दी में, वह बहुत गलत है । १४ लाख ३८ हजार में से घटाने पर १३ लाख एकड़ नहीं बचता है बल्कि ८ लाख एकड़ के करीब ही बचता है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ३० एकड़ से ज्यादा के जो किसान हैं उनका प्रदेश के किसानों में क्या अनुपात है ?

श्री चरणसिंह---एक हजार में दो का अनुपात है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्लानिंग कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में कोई सुझाव इस सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह--प्लानिंग कमीशन की राय तो उनकी रिपोर्ट में जाहिर है ही। अलग से उनको प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो १७,९९० जोतें हैं वे इतने ही व्यक्तियों के कब्जे में हैं या इससे कम या ज्यादा व्यक्तियों के कब्जे में हैं ?

श्री चरणसिंह--ये जो आंकड़े मैंने बतलाये हैं, कृषि आय कर का जो महकमा काम कर रहा है उनके पास जो आंकड़े हैं उनकी इत्तिला के आधार पर बतलाये हैं क्योंकि वे जो नोटिस देते हैं बड़े-बड़े खातेदारों को ही देते हैं। ३० एकड़ से कम वालों को वे नोटिस दे ही नहीं सकते कानूनन, उनके जो आंकड़े हैं वे यही हैं। एक खानदान के पास कितनी जमान है यह मान कर कहा गया है। वैसे एक-एक आदमी के पास कई-कई खातों में जमीन होती है। उस तरह का सर्वे कराया जाय तो वर्षों लगेंगे और लाखों रुपया खर्च होगा।

श्री गेंदासिंह--यह जो ३० एकड़ से अधिक जमीन है उसको भूमिहीन लोगों में बांटने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह--एक बार इस विषय पर बहुत तफसील के साथ विचार हो चुका है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है और अगर वही जवाब फिर दिया जाय तो आधा घंटा लग जायगा।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन १७,९९० जोतों में जो चीनी मिलों के पास फार्म हैं वह भी शामिल हैं अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह--इसमें सभी मेकेनाइज्ड और अनमेकेनाइज्ड जोतें शामिल हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस प्रकार का स्पष्टीकरण करेगी कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन कितने किसानों पर है और यह १७,९९० इन्डिविजुअल किसान हैं या इसमें परिवार भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं अभी उत्तर में यह बताया जा चुका है।

श्री राजनारायण--मैं जानता हूं, श्रीमन्, इसमें किस प्रकार की गलती है।

श्री अध्यक्ष-- (श्री चरणसिंह से) आप स्पष्ट करना चाहें तो कर दें।

श्री चरणसिंह--मैं साफ कह चुका था, एक किसान परिवार से मतलब था।

श्री राजनारायण--यह १७,९९० परिवारों की जो सूचना सरकार को एग्रीकल्चर इनकमटैक्स आफिस से मिली है उसको नाकाफी समझ कर इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--इसको गवर्नमेंट नाकाफी नहीं समझती, बहुत सही समझती है।

बुलन्दशहर कृषि विद्यालय में पिछड़ी जाति के छात्रों की भर्ती

*११--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर कृषि विद्यालय के लिये जो छात्रों की छांट की गई उसमें कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के छात्र लिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--इस वर्ष बुलन्दशहर कृषि विद्यालय में पिछड़ी जाति के ९ छात्र लिये गये और कोई भी हरिजन छात्र नहीं लिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब हरिजन छात्रों के प्रार्थना पत्र भी आये थे तो वह क्यों नहीं लिए गए ?

श्री हुकुमसिंह---जो नहीं लिए गए वह अयोग्य समझे गये ।

बुलन्दशहर जिले में ग्राम सेवकों का चुनाव

*१२---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जुलाई सन् १९५६ में जो ग्राम सेवकों की छांट बुलन्दशहर से की गई उसमें कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं ?

श्री हुकुमसिंह---कोई नहीं ।

मिर्जापुर जिले में चेचक के प्रकोप से पशुओं की मृत्यु

*१३---**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि मिर्जापुर जिले में अगोरी परगने में हर्दी कोटा से लेकर चोपन सेन्दुरिया होती हुई परसोई ग्राम तक तथा सिगरौली परगना (तहसील दुद्धी) में कुसडंड तथा कोल डोमरी के आस-पास पिछले तीन चार महीने की चेचकमहामारी के कारण लगभग १२ हजार पशुओं की अकाल मृत्यु हुई है ?

श्री हुकुमसिंह---जहां तक सरकार को सूचना मिली है बीमारी के प्रकोप से ७७३ पशु मरे । जिन ग्रामों में बीमारी का प्रकोप हुआ तथा वहां जितने पशु मरे उसकी एक तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३ पर)

*१४---**श्री व्रजभूषण मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि उस क्षेत्र के किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इसकी कोई रिपोर्ट न हुई, जिससे समय पर उपचार न मिल सकने के कारण पशुओं की मृत्यु रोकी नहीं जा सकी ?

श्री हुकुमसिंह---खेद है कि बीमारी फैलने की सूचना समय से नहीं मिली । इसकी जांच की जा रही है । बीमारी की सूचना मिलने पर उसकी रोकथाम का तुरन्त प्रबन्ध किया गया ।

*१५-१६---**श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर)---[५ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बदायूं तहसील में दुरुस्ती इन्दराज के मुकदमे

*१७---**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि तहसील बदायूं में अप्रैल, सन् १९५५ से अप्रैल, १९५६ तक कितने मुकदमें दुरुस्ती इन्दराज के दायर हुये, कितने फैसल हुये और कितने इन्दराज ठीक किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील बदायूं में अप्रैल सन् १९५५ से अप्रैल सन् १९५६ तक २,९०६ मुकदमें दायर हुए, २,४२६ फैसल हुए और २,२०५ के इन्दराज ठीक किये गये ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---क्या यह सही है कि ४,७८० मुकदमे बाकी हैं, ३,००० के लगभग अधिवासियों के हैं जो फाइलों में पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कोई दूसरे आंकड़े पेश कर रहे हैं ।

श्री टीकाराम (बदायं)---यह आंकड़े मैं तहसील से निकाल कर लाया हूं ।

श्री अध्यक्ष---आपको ज्यादा मालूमात हों तो आप सूचना के लिए अपने आंकड़ों को सरकार के पास भेज दें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---सरकार के पास जो सूचना है वह मुझे गलत मालूम होती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसमें कोई गलती तो है नहीं। यह तो हिसाब की बात है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके माननीय टीकाराम जी ने तहसील से लिये हुए जिन आंकड़ों को उपस्थित किया है उनको सही मान कर सरकार को जो सूचना प्राप्त है आंकड़ों की, उनकी दुरुस्तगी करेगी ?

श्री चरणसिंह---सवाल था दुरुस्तगी इन्दराज के मुकदमों की संख्या का और उसकी तादाद उनके पास है। वह खत लिख कर पूंछेंगे तो मैं इंक्वायरी करा लूंगा।

हरदोई जिले में सरकारी रोडवेज का चालू होना

*१८---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सरकारी रोडवेज कब से चालू की जायेगी ?

श्री चरणसिंह---हरदोई जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९६०-६१ में सरकारी रोडवेज की बसें चलाने का विचार है।

आम की फसल हल्की होने पर कृषि आय-कर में छूट के लिये प्रार्थना

*१९---**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ए० आई० टी० (Agriculture Income Tax) में जो बागात की फसल की आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है इस वर्ष आम की फसल न आने पर ए० आई० टी० में वह कुछ माफी देने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---सरकार को इस बारे में कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कृषि आय कर लगाने के जो तरीके हैं उनमें से एक यह भी है कि करदाता अपनी वास्तविक आय पर कर निर्धारित करवा सकता है। अतः करदाताओं को कोई आर्थिक हानि होने की संभावना नहीं है।

जौनपुर जिले में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*२०---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के अन्तर्गत जिन ग्रामों में १९५५ में बाढ़ से नुकसान हुआ था उन गांवों में किसानों को लगान में छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---जौनपुर जिला के अन्तर्गत जिन ग्रामों में १९५५ में बाढ़ से नुकसान हुआ था उन ग्रामों के किसानों की मालगुजारी तथा लगान मुल्तवी है और छूट का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२१---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कितने गांवों में लगान में छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह—छूट अभी तक नहीं दी गई है परन्तु जिन ग्रामों में लगान तथा मालगुजारी की वसूली स्थगित है उनका तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :—

नाम–तहसील	ग्रामों की संख्या
जौनपुर	६१९
मड़ियाहूं	७२३
मछलीशहर	४६३
शाहगंज	६१४
केराकत	३४२
योग ..	२,७६१

*२२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[५ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले के मार्फत काश्तकार

*२३—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले में सन् १९५२ ई० में "जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था" अधिनियम लागू होने के पूर्व कुल कितने "मार्फत" काश्तकार थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१३५९ फ० में यानी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के पूर्व फैजाबाद जिले में ८३,८७७ मार्फत इन्दराज या मार्फतदार थे।

*२४—श्री जयराम वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त "मार्फत" काश्तकारों में से अधिकतर असली खातेदारों के वंशज और उनके खाते में हकदार थे और हिस्सा होने के नाते ही जोते हुये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बगैर जांच के यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा मार्फत दार खातेदार का वंशज था और उसका उस खाते में कोई हिस्सा या हक था या नहीं।

*२५—श्री जयराम वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त "मार्फत काश्तकार" अब बेदखल हो रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पिछली correction drive में जिन मार्फतदारों का हिस्सा या हक़ साबित नहीं हुआ था उनमें से कुछ बेदखल हो रहे हैं क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं था।

श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि फैजाबाद में कुल खातेदारों की कितनी संख्या है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार कृपा करके यह पता लगायेगी कि इन मार्फतदार किसानों में से कितने असली काश्तकारों के वंशज हैं और उसमें अपना हिस्सा होने के नाते जोते हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—यह पता कि जो किसान मार्फत क तरीके से दर्ज है वह वाकई हिस्सेदार है या नहीं, गवर्नमेंट लगा नहीं सकती। यह तो दोनों फरीक आपस में अदालत में दावा दायर करके ही तय कर सकत हैं।

श्री बलवन्तसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये मार्फत काश्तकार काश्तकारों की कौन सी किस्म हैं और कैसे काश्तकार होते हैं ?

श्री चरणसिंह---ये ऐसे किसान होते हैं कि अगर माननीय बलवन्त सिंह जी साल भर यहां रहें और मुजफ्फरनगर न जायं और वहां खेती करना छोड़ दें और किसी आदमी को जमीन सुपुर्द कर आयें और वह काश्तकार भी न हो और गासिब भी न हो ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे भी काश्तकार मार्फत होते हैं जैसे दो भाई हैं -एक का नाम दर्ज है और दूसरा भाई काबिज है और लगान देता है और उसको कोई हुकूक जमींदारी विनाश कानून के अन्दर अधिवासी के नहीं मिल पाते हैं ?

श्री चरणसिंह---मौर्य जी ने जो कहा बिल्कुल सही है लेकिन सब ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। कितने इस प्रकार के और कितने दूसरे प्रकार के हैं वे फरीक खुद जाकर अदालत में तय करेंगे ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या आदरणीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्फत काश्तकार में साझीदार काश्तकार भी हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कानून की बात पूछ रहे हैं जिसे आपको स्वयं समझ लेना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा---क्या यह सही नहीं है कि खसरे में मार्फत की एंट्री के साथ इस बात की एंट्री भी है कि वह असली काश्तकार के वंशज हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह बात भी होती है ।

श्री जयराम वर्मा---जब मार्फत के साथ इस बात की भी एंट्री है कि वह असली काश्तकार का वंशज है या नहीं तो सरकार के सामने क्या कठिनाई है यह बतलाने में कि मार्फत काश्तकारों में से कितने काश्तकार उनके असली वंशज हैं और हिस्से के नाते जोते हुए हैं ?

श्री चरणसिंह---इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि क्योंकि रिश्तेदार हैं लिहाजा हिस्सेदार हैं । रिश्तेदार होते हुए उसकी अपनी जमीन अलग हो सकती है । एक बात । दूसरी बात यह कि रिश्तेदार होते हुए उसका खाते में कोई हिस्सा न हो और जिसकी मार्फत वह दर्ज है वह जमीन उसने जमींदार से ली हो ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार ऐसे मार्फत काश्तकारों को जो मार्फत की हैसियत से काबिज हैं अधिबासी के तौर पर सीरदार बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जरा मुझे इजाजत दें। एक मिनट लग जायगा। माननीय जयराम वर्मा ने गत वर्ष मुझको एक चिट्ठी लिखी थी कि इस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं और जो लोग वाकई हिस्सेदार हैं उनको हक नहीं मिल रहा है क्योंकि वह मार्फत दर्ज हैं। मुहकमे माल में इस बात पर विचार किया गया और बहुत मुफस्सल नोट तैयार हुआ। वह नोट माननीय जयराम वर्मा जी को दिखा दिया और मैंने उनसे कहा कि रोजमर्रा कानून बदला नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर कोई भारी कठिनाई हो और आप कोई ऐसी परिभाषा बतला सकें जिससे मामला हल हो जाय तो उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी। मैंने वादा नहीं किया। मैंने कहा था कि विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद माननीय जयराम वर्मा जी ने कोई ऐसा क्लाज बना कर नहीं दिया जिससे यह कठिनाई हल हो सके, परिभाषा ठीक हो सके और केवल जिनका हक रहा हो, वाकई हकदार हों, हिस्सेदार हैं और मार्फत दर्ज हो गये हों, उसमें यह पता लगाना कि इसमें हिस्सा है या नहीं है यह सिर्फ एवीडेंस की बात हुई। क्वैश्चन आफ फैक्ट्स है, क्वैश्चन आफ ला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी माननीय जयराम वर्मा जी के प्रश्न की ओर झुक गये। लेकिन माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री चरणसिंह—माननीय मौर्य जी ने मेरा जवाब सुन लिया होगा और इसको अपने से मौसूम समझें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय माल मंत्री जी को किसी ऐसी रूलिंग का पता है जिसमें यह होल्ड किया गया है कि मार्फत काबिज होने के बावजूद भी सीरदार का हक उसको नहीं मिलेगा ?

श्री चरणसिंह—जी हां, मालूम है। वह नजीर बिलकुल सही है।

*२६-२७—श्री कमलासिंह—[१३ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये दिये गये धन का व्यय

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये जितना रुपया केंद्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष दिया था उसमें से कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितना धन बचा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केंद्रीय सरकार द्वारा जिलों के लिये अलग-अलग कोई सहायता नहीं दी गई थी। प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान तथा वास्तविक व्यय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

निर्धारित धनराशि का जो अंश वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत व्यय नहीं हो सका वह वर्ष की समाप्ति पर व्यय गत हो गया।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ६४ पर)

*२९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों सरकारों द्वारा प्रदान किये गये सामान तथा रुपया आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों में कितना-कितना व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न २८ के उत्तर में दी गई धनराशियों के व्यय का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है:—

नाम तहसील	व्यय
१—घोसी	२,०१,५५८
२—सगड़ी	२,२३,००५
३—मुहम्मदाबाद	२,५९,३८५
४—सदर	३,६५,९१३
५—फूलपुर	२,२३,५००
६—लालगंज	१,५०,२६२
योग ..	१४,२३,६२३

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ के विद्यार्थियों के लिये जो अनुदान एक लाख ५९ हजार दिया गया है वह कम है और जिसके कारण स्कूलों के अनुदान में कमी की गयी है ?

श्री चरणसिंह—कम किससे है ? कम या ज्यादा किसी की निस्बत से होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से इसकी जांच करायेगी कि स्कूलों की ओर से, तहसीलदार द्वारा जो विद्यार्थियों की फीस माफी की सूची तसदीक करके आयी थी उसके अनुसार यह रुपया नहीं दिया गया, कम दिया गया है जिसके कारण स्कूलों के अनुदान में कमी की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न से यह पूरक प्रश्न उठेगा नहीं। आप सूचना देकर शिक्षा मंत्री से सवाल कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि टेस्ट वर्क के लिये १ लाख ३० हजार रुपया जो दिया गया था उसमें से ४६ हजार ही क्यों खर्च किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका कारण है कि उस जिलें में गांव ऊंचा करने का काम शुरू हो गया था और वहां पर मजदूरी ज्यादा मिलती थी, इसलिए टेस्ट वर्क पर कोई काम करने नहीं आया।

जौनपुर जिले में रोडवेज से आय

*३०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में रोडवेज से सन् १९५५-५६ में भिन्न लाइनों पर कितने रुपये की आमदनी हुई तथा कुल कितने व्यक्तियों ने यात्रा की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रोडवेज में हिसाब न तो जिलेवार रखा जाता है और न रखना सम्भव है। आय-व्यय का हिसाब किसी खास मार्ग, डिपो या रीजन के बारे में मिल सकता है। बसों के मार्ग किसी एक जिले तक सीमित नहीं हैं और वह भिन्न-भिन्न जिलों से गुजरते हैं, अतएव यह बताना संभव नहीं है कि जौनपुर जिले से सन् १९५५-५६ में कितनी आमदनी हुई। सन् १९५५-५६ में जौनपुर जिले में कितने व्यक्तियों ने यात्रा की इसका उत्तर देना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कई शहरों से यात्री जौनपुर आते, जाते हैं और यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने व्यक्ति आये और गये।

*३१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[५ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[२६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

भंडाच ताल (बखिरा झील) की बंजर जमीन

*३३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ताल भंडाच (बखिरा झील) में जो बंजर जमीन पड़ी है, उसका नाप-जोख करवाया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*३४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो जमीन निकली है वह ग्राम समाज के रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है अथवा नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न में उल्लिखित बन्जर भूमि गांव समाज के सम्पति रजिस्टर में दर्ज है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन ग्राम समाज के रजिस्टर में दर्ज की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जितनी है वह दर्ज की गई है ।

श्री राजाराम शर्मा--जो जमीन ग्राम समाज के रजिस्टर में दर्ज की गई है उसमें कितनी भूमि पर खेती होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें खेती वाली अलग से तो नहीं है । बन्जर भूमि ज्यादातर पड़ी हुई है । कुछ जमीन पर धान होता है मोटे किस्म का और ज्यादातर मछली मारने के काम में आती है । ज्यादातर यह जमीन तालाब की मछुओं को मछली मारने के लिये दी गयी है ।

श्री राजाराम शर्मा--जितनी जमीन किसानों को उठाई जाती है उसकी कितनी माल-गुजारी गांव सभा को मिलती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों का चुनाव

*३५--**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने नायब तहसीलदार चकबन्दी ट्रेनिंग के लिये १९५६ में चुने गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चरणसिंह--सन् १९५६ में कुल १८६ उम्मीदवार चकबन्दी नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) की ट्रेनिंग के लिये चुने गये हैं परन्तु उनमें हरिजन कोई नहीं है ।

मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील की पुरानी कचहरी की इमारत

*३६--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि जिला मिर्जापुर चुनार तहसील की पुरानी कचेहरी की इमारत बेकार खाली पड़ी है और उसकी देख रेख में सरकार का क्या व्यय होता है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, जिला मिर्जापुर चुनार तहसील की पुरानी कचहरी की इमारत इफ्तखार खां निजाम के मकबरे की थी और वह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को दे दी गयी है । वही विभाग उसकी देख रेख करता है । इस राज्य का इस पर कोई व्यय नहीं होता है ।

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी तहसीलों में धान की फसल को कथित क्षति

*३७--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार मिर्जापुर जिले की राबर्टसगंज व दुद्धी तहसील के उन ग्रामों की तालिका तैयार करायेगी जिनमें ३१ जुलाई, १९५६ तक अनियमित तथा विषम वर्षा तथा अवर्षण के कारण धान का बीज नहीं पड़ सका तथा धान की रोपाई नहीं हो सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मिर्जापुर जिले की राबर्टसगंज व दुद्धी तहसीलों में कोई ऐसा ग्राम नहीं है जिसमें अनियमित तथा विषम वर्षा तथा अवर्षण के कारण धान का बीज नहीं पड़ सका तथा धान की रोपाई नहीं हो सकी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूचना का आधार क्या है ?

श्री चरणसिंह--जो हुआ करता है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री चरणसिंह--जिलाधीश से रिपोर्ट आयी है हमारे पास ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि राबर्टसगंज तहसील में पजसौली ग्राम में धान की रोपायी नहीं हो सकी है अवर्षण के कारण ?

श्री चरणसिंह--जी, मालूम करा लेंगे अगर आप चाहते हैं ।

लावारिस जानवरों को पकड़ने के लिए नगरपालिकाओं को आदेश

*३८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं को कोई ऐसा आदेश भेजा गया है कि नगरों में छूटे हुये लावारिस जानवर पकड़ लिये जायें ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां ।

*३९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में इन लावारिस जानवरों के रखने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में बूढ़े प्रकार तथा लाभहीन और अनुपयोगी पशुओं के रहने लिये एक छोटा गोसदन खोलने की व्यवस्था की गई । इस वर्ष ऐसे गोसदन २६ जिलों में खोलने का विचार है । इसके लिये उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिकाओं में राजकीय पशु-चिकित्सालय

*४०--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की कौन-कौन सी नगरपालिकाओं में जानवरों के अस्पताल सरकार अपने कब्जे में चला रही है ?

श्री हुकुमसिंह--इस समय निम्नलिखित नगरपालिकाओं में पशु-चिकित्सालय सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं--

नगरपालिका		पशु चिकित्सालय
१--लखनऊ	..	बादशाहबाग
२--इलाहाबाद	..	इलाहाबाद, भरद्वाज
३--मैनपुरी	..	मैनपुरी
४--झांसी	..	झांसी
५--मिर्जापुर	..	मिर्जापुर
६--सुल्तानपुर	..	सुल्तानपुर
७--गाजीपुर	..	गाजीपुर
८--एटा	..	एटा
९--बुलन्दशहर	..	बुलन्दशहर
१०--देवरिया	..	देवरिया
११--टेहरी	..	टेहरी
१२--रामपुर	..	रामपुर

पूर्वी जिलों में वर्षा के अभाव से खरीफ को नुकसान

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, के पूर्वीय जिलों में वर्षा के अभाव में टांगुन, सांवा, आदि क्वारी फसल आठ आने से अधिक सूख गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केवल बलिया जिले में टांगुन, सावां आदि की फसल को वर्षा के अभाव के कारण आठ आने से अधिक की हानि हुई है, आजमगढ़ जिले में हानि करीब-करीब आठ आने की हुई है, और मिर्जापुर जिले में हानि नगण्य है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के किस हिस्से में टांगुन, सावां आदि की फसल में आठ आने से ज्यादा हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता होगी कि बलिया शहर से कौन सी दिशा में वह पड़ता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कब तक इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेगी कि बलिया जिले के किन-किन हिस्सों में कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो अनावृष्टि की वजह से आपने सवाल पूछा है । अब अति-वृष्टि हो गई है । तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं समझी जाती ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को समझने की कृपा करेगी कि जहां पर फसल सूखा से सूख गई थी अतिवृष्टि से वहां फसल को और भी नुक्सान ही होगा, बढ़ोत्तरी नहीं होगी और अधिक नुक्सान होगा तभी मालगुजारी की छूट दी जाती है । इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए वह आंकड़ा तैयार करायेगी ?

श्री चरणसिंह—बहुत पुराना मैन्युअल इस सिलसिले में बना हुआ है और लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस० डी० ओ० सबके कर्त्तव्यों का उसमें वर्णन है । वह बिना हमारे कहे और हर फसल में अगर इस तरह की कोई विपत्ति आती है तो आंकड़े तैयार करते हैं चाहे अनावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन इलाकों में धान सूख गया है वहां केवल धान की मालगुजारी में माफी करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी, वह तो होगा ही । लेकिन अगर मेरे माननीय मित्र बजाय माफी वगैरह के ज्यादा जोर देकर लोगों को यह समझाने की कोशिश करें कि पैदावार कैसे बढ़ेगी तो ज्यादा फायदा होगा उनका ।

कुमायूं सिंचाई डिवीजन, नैनीताल में सम्मलित किये गये रेवेन्यू विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों की स्थानान्तरण के लिए मांग

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास कुमायूं सिंचाई डिवीजन, नैनीताल में सम्मिलित किये गये 'रेवेन्यू' विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों की यह मांग आयी है कि उन्हें फिर रेवेन्यू विभाग को स्थानान्तरित (revert) कर दिया जाये ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह मांग सरकार के पास कब आयी और इस पर कब तक विचार हो जाने की संभावना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मांग आयी कब, इसकी तो तारीख नहीं है लेकिन यह मामला ऐसा है कि यह जो लोग हैं यह माल विभाग में कलेक्टरी के मुलाजिमों के साथ कभी इनकी गणना नहीं हुई और न उनकी तनख्वाह उनके बराबर थी। यह अलाहिदा से थे। इसलिए इसी बात पर विचार हो रहा है और जल्दी इसका फैसला हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि यह मांग इसीलिए की जा रही है क्यों कि उन्हें सिंचाई विभाग में जाने पर वह सीनियारिटी तथा अन्य सुविधायें जो रेवेन्यू विभाग में मिलती थी, वह नहीं मिल रही हैं ?

श्री चरणसिंह--जी, क्या कारण है, यह तो तफसील से माननीय मित्र को मालूम होगा लेकिन उनकी जो दरख्वास्त आयी है उस पर विचार हो रहा है और उसमें सारे पहलुओं पर विचार होगा।

श्री रामेश्वरलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं अब सदन को दो आवश्यक सूचनायें देना चाहता हूं।

प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट देवरिया ने अपने ३० सितम्बर, १९५६ के पत्र में मुझे यह सूचना दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा १८७ (२) के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये उन्होंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन निर्गत निषेधात्मक आज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवक को अपना कर्त्तव्य पालन करने से रोकने के लिये दंडनीय बल का प्रयोग करने के कारण भारतीय दंड विधान (इंडियन पेनल कोड) की धारा १४३ (१५३) १८८ तथा ३५३ के अधीन अपराधों के लिये श्री रामेश्वरलाल को निरुद्ध किया जाय। तदनुसार श्री रामेश्वरलाल, एम० एल० ए० को ३० सितम्बर, १९५६ को प्रातःकाल ८।। बजे गिरफ्तार किया गया है और देवरिया जेल में रखा गया।

इसके पश्चात् अब मुझे वायरलेस द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि ६ अक्तूबर, १९५६ को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरी सूचना यह है कि मुझे जिलाधीश बनारस ने यह सूचना दी है कि भारतीय दंड विधान (इंडियन पेनल कोड) की धारा १२४ (ए) के अधीन दंडनीय आपत्ति-जनक भाषण देने के अपराध में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा ९०/८३ के अन्तगत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी को ५ अक्तूबर, १९५६ को कानपुर में गिरफ्तार किया और उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया।

पूर्वी जिलों में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में तीन कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज करीब सात काम रोको प्रस्ताव आये हुये हैं और उनमें से तीन सर्व श्री गेंदासिंह, झारखंडे राय और राजनारायण जी ने मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और देवरिया आदि पूर्वी जिलों में असाधारण बाढ़ के कारण या सूखा के बाद जो बाढ़ आयी उससे जो क्षति हुई उसके ऊपर सदन का काम रोक कर विचार करने के लिये काम रोको प्रस्ताव भेजे हैं और चूंकि मेरे पास यह सूचना आ चुकी है कि मुख्य मंत्री जी इन सब बातों

पर विचार करने के लिये ११ अक्तूबर का पूरा दिन देना चाहते हैं जबकि काम रोको प्रस्ताव के द्वारा केवल दो घंटे बहस हो सकेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो बहस आगे आने वाली है, ये प्रस्ताव उस विषय को ऐंटीसिपेट करते हैं यानी उस विषय के लिये जो निश्चित दिन है उसके पहले वे इसको लेना चाहते हैं सिर्फ दो घंटे के लिये, ऐसी अवस्था में और चूंकि मैं इसको अर्जेन्ट भी इतना नहीं समझता हूं कि इसे आज ही ले लिया जाय, इन प्रस्तावों को उपस्थित करने की मैं अनुमति नहीं देता हूं कि इस विषय पर आज ही बहस हो उचित यही है कि ११ तारीख को जो दिन मुकर्रर है पूरे दिन इस परह बहस हो।

श्री शमसी मीनाई की नज्मों के पुलिस द्वारा जब्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--चौथा काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है, वह मैं आज के लिये नहीं लूंगा, पढ़कर सुनाये देता हूं। वह चाहते हैं कि उनका जो पत्र व्यवहार हुआ है, उसको वह मुझे पहिले दिखा दें, लेकिन चूंकि आज वह बहुत देर में आये और यह सब देखने का मौका मुझे नहीं मिला, इसलिये मैं कल के लिये इसे स्थगित करता हूं। अभी केवल पढ़कर सुनाये देता हूं।

"उत्तर प्रदेश के सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री शमसी मीनाई की समाजवादी विचारधारा से मुक्त नज्में जो कानपुर के आर्मी प्रेस में छप रही थीं उसे कानपुर की पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से जब्त करने और सरकार द्वारा कानपुर की पुलिस की गैर कानूनी हरकतों पर ध्यान दिलाने के बाद भी उदासीनता की नीति अख्तियार करने से विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य-स्थगित करता है"।

सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी का एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव यह है कि :--

"गत २९ व ३० सितम्बर, १९५६ को सर्वश्री रामेश्वरलाल जी, एम० एल० ए०, उग्रसिंह जी, चन्द्रबली सिंह जी, कृष्णराम, राजकिशोर सिंह, बृजराज सिंह, अमरीक सिंह तथा रामायण शास्त्री को नितांत अनुचित ढंग पर देवरिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन कर्मठ सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र देवरिया की परिस्थित बड़ी विषम हो गई है। अतः यह सदन इस आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।

मैंने इसमें से श्री रामेश्वरलाल जी की गिरफ्तारी के संबंध में अभी आदरणीय सदन को सूचना दी है और इसमें किन कारणों से गिरफ्तारी की गई यह भी संक्षेप में बता दिया गया था। तो यह अदालत के सिपुर्द होने वाला मामला स्थानीय शासन से सम्बन्धित है। मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव का विषय हो। इस कारण इसकी अनुमति मैं नहीं देता हूं।

'रिलीजस लीडर्स' पुस्तक सम्बन्धी सरकारी नीति के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा एक काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का उसी पुस्तक सम्बन्धी नीति के बारे में है। उस पुस्तक के बारे में इस सदन में कई मर्तबा प्रश्न भी किये गये और काम रोको प्रस्ताव लाने का प्रयत्न किया गया। उस सम्बन्ध में नीति क ऊपर अब

[श्री अध्यक्ष]

माननीय राजनारायण जी विचार करने के लिये चाहते हैं कि इस सदन का काम रोका जाय। इस सम्बन्ध में मैं काम रोको प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये पहले भी इन्कार कर चुका हूं और अब इतने रोज के बाद तो उसकी अर्जेन्सी बिल्कुल बाकी नहीं रहती है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। कायदे से उन्हें इस विषय पर विचार कराने के लिये कोई असरकारी प्रस्ताव लाना चाहिये और उसके लिये समय भी उनके लिये काफी था। यदि वह चाहते तो ऐसा प्रस्ताव लाने के लिये वह प्रयत्न करते। काम रोको प्रस्ताव द्वारा उस प्रश्न से संबंधित नीति पर विचार करने के लिये वे प्रश्न नहीं उठा सकते।

मेरठ की मुरादनगर आर्डिनेंस फैक्टरी के मजदूरों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री नारायणदत्त जी तिवारी का एक काम रोको प्रस्ताव है कि "मेरठ क्षेत्र में स्थित मुरादनगर आर्डिनन्स फैक्टरी के लगभग २,५०० मजदूरों पर विगत ३ अक्तूबर को यू० पी० सरकार की पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से अश्रु गैस छोड़े जाने तथा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में उन्होंने मेरे पास कोई विशेष मालूमात नहीं भेजी केवल यह प्रस्ताव ही भेजा। और विषम परिस्थिति के बारे में भी स्पष्टीकरण इसमें किसी प्रकार का नहीं है। इसलिये अनिश्चितता के कारण मैं इसकी स्वीकृति तो नहीं देता हूं कि वे इसे आज उपस्थित कर सकें लेकिन वह विषय जो इस प्रस्ताव में बयान किया गया है वह महत्वपूर्ण होने के कारण माननीय मुख्य मंत्री जी को अवश्य यह मौका दूंगा कि अगर वे कोई वक्तव्य या सूचना इस विषय में सदन को देना चाहें ---मैं उनको मजबूर नहीं करता---तो वे दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रश्न उठता है तो मैं देर होने की आपत्ति नहीं करूंगा और माननीय नारायणदत्त जी तिवारी बाद में उसे उठा सकेंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जबानी तौर से मैं अब भी कुछ कह सकता हूं लेकिन शायद आप इस बात को पसन्द करेंगे कि वह कुछ अधिक ब्योरे के साथ हो। तो आप अगर इजाजत दें तो कल मैं सूचना सदन को दूं।

श्री राजनारायण द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सदन में न पढ़े जाने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री राजनारायण---एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी आपने व्यवस्था दी मेरे उस काम रोको प्रस्ताव के बारे में, तो मैंने लिखा है कि जो वातावरण उत्पन्न हुआ और जो कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी की नीति है....

श्री अध्यक्ष---आक्षेप तो प्रस्ताव में आ ही नहीं सकता है। किसी की नीयत पर जब आप हमला करते हैं तो मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा ही नहीं। सरकार की नीयत पर उस प्रस्ताव में आपने हमला किया है न?

श्री राजनारायण---वह तो सरकार की नीति है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। मैं ऐसी कोई चीज पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन् यह नीति का ही फल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं, बहस न करें ।

श्री राजनारायण—तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस व्यवस्था से असहमति प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष—कीजिये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या मैं आपकी इजाजत से यह पूछ सकता हूं कि जैसा कि आपने एलान किया कि इस हाउस के सदस्य श्री शाहिद फाखरी गिरफ्तार किय गये तो वह किस महीने की किस तकरीर की बिना पर गिरफ्तार किये गये ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो आपको ज्यादा जानना चाहिये ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मुझे मालूम नहीं। दूसरे मैं यह इजाजत चाहता था कि क्या इस गिरफ्तारी पर मैं अपने हाउस के लीडर को मुबारकबाद यहां दे सकता हूं इस मौके पर ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आपने कोई काम रोको प्रस्ताव तो भेजा नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—वह तो मैं कभी नहीं भेजूंगा । लेकिन तारीख दरियाफ्त करना चाहता था कि किस तारीख में गिरफ्तारी हुई ?

श्री अध्यक्ष—यह आप बाद में मुख्य मंत्री जी से या उनके किसी विभाग से दरियाफ्त कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ जनवरी, १९५६, की बठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ जनवरी, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २ मई, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया ।

टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ९ मार्च, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ जुलाई, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २ अगस्त, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अगस्त, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ अगस्त, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ९ सितम्बर, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

श्री रामेश्वरलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, अभी आपने रामेश्वरलाल जी की गिरफ्तारी के बारे में सुनाया कि मैजिस्ट्रेट ने इनको ३० तारीख को गिरफ्तार किया और ३ तारीख को आपको सूचना दी। तो मैं समझता हूं कि यह प्रिविलेज का सवाल उठता है।

श्री अध्यक्ष--३० तारीख को ही वायरलेस आ चुका था।

श्री राजनारायण--ठीक है श्रीमन्, आपने सुनाया नहीं था।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो आपको केवल सूचना दी थी।

श्री राजनारायण--ठीक है, श्रीमन्, अगर उन्होंने समय से सूचना न दी होती तो प्रिविलेज का सवाल उठता था।

दूसरी बात श्रीमन् की ३० तारीख को ५ बजे से ६ तारीख को ११ बजे तक वह जेल में आर्डर आने के बाद तक रखे गये...

श्री अध्यक्ष--उसके लिये तो आपने अपने काम रोको प्रस्ताव में कोई जिक्र नहीं किया था।

श्री राजनारायण--उसके लिये मैं प्रिविलेज का सवाल उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, इसकी मुझे सूचना हो गई तो जो समय की बाधा इस प्रिविलेज के सवाल उठाने में उठती है वह अब नहीं होगी। लेकिन अब आप नियम के अनुसार उसको भेज दीजिये।

श्री राजनारायण द्वारा सभा त्याग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- तीसरी बात श्रीमन्, मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं। अगर मुख्य मंत्री जी इस पर राजी हों और आप भी इजाजत दें तो मैं देख रहा हूं कि प्रदेश का वातावरण काफी क्षुब्ध हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन मैं आपको किसी विवाद के लिये मौका नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--क्योंकि श्रीमन्, आपने मेरे काम रोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी.....

श्री अध्यक्ष--मैं अब भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं आपका मतलब समझ गया हूं। आपका मतलब है कि आप इसके बहाने से उसके विषय के ऊपर फिर विवाद छेड़ना चाहते हैं। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सरकार की ऐसी नीति है.....

श्री अध्यक्ष––आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री राजनारायण––क्या मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता ?

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके बैठ जायं, (एक क्षण के अनन्तर) कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण––मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मैं आपकी रूलिंग के विरोध में वाक आउट करता हूं।

(श्री राजनारायण तथा श्री रामेश्वरलाल सदन त्याग कर जाने लगे तो उस समय कांग्रेस दल की ओर से मेजें बजाई गयीं।)

श्री राजनारायण––यह शर्म की बात है। कांग्रेस के लिये शर्म आनी चाहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)––अध्यक्ष महोदय, अभी जो घटना बीत रही थी उस सम्बन्ध में आपसे खाली यह कहना चाहता हूं कि माइक्रोफोन को कुछ कम किया गया। आप यहां पर विराजमान हैं। आप जो कहें वह हम सब को मान्य होगा, लेकिन माइक्रोफोन की आवाज को बोलते समय अगर उसके इंचार्ज कम कर दें तो यह सदन का अपमान होगा। मुझे ऐसा लगा कि जब राजनारायण जी कुछ कथन कर रहे थे उस समय भाषण देते समय वहां से उसकी आवाज कम कर दी गई ताकि उनकी आवाज न सुनाई पड़े। इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाय। वैसे मैं राजनारायण जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं यह न समझा जाय लेकिन यह बात मुझे जैसी मालूम हुई मैंने कह दी।

श्री अध्यक्ष––आप कृपा करके बैठें।

बात यह है कि कभी-कभी मेरा माइक्रोफोन बेकार हो जाता है और काम नहीं देता है। तो जब मेरी आवाज दूर तक नहीं जाती है और मैं बोलना चाहता हूं तो वह यह कार्य कर देते हैं ताकि माइक्रोफोन से आवाज सुनाई दे। उसके लिये जो यंत्र की दुरुस्ती का कार्य होता है उससे आपको यह भ्रम पैदा हो गया है।

वित्त विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री -कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा-परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी० ३४७२/१०, दिनांक १६ जुलाई, १९५६, संख्या एस० टी० ३४७३/१०, दिनांक १६ जुलाई, १९५६ तथा संख्या एस० टी० ४०८१/१०, दिनांक ३१ जुलाई, १९५६, को उक्त ऐक्ट की धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

परिवहन विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)––अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या १७८१–टी० (एम०)–३०–४८२७–टी०–५५, दिनांक ९ जुलाई, १९५६, संख्या ७७६, (१)–टी०–(एम०)/३०–४८०८–टी०–५६, दिनांक ७ जुलाई, १९५६, संख्या १२९६–टी० (एम०)/३०–४०१५–(ए० क्यू०) टी०–५५, दिनांक २७ जुलाई, १९५६, संख्या २९५०–टी० (एम०)/३०–११५७–टी०–५६, दिनांक ११ अगस्त, १९५६ तथा [illegible]–टी० (एम०)/३०–११५७(१)/टी०–५६, दिनांक ११ अगस्त, १९५६ को, [illegible]ी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, मोटर वेहिकिल्स [illegible] १३३ उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है कि जो अंक हैं इस सूचना में वे कुछ मुख्तसर हो जायं? इनको पढ़ने में दिक्कत भी होती है और लोगों की समझ में कुछ कभी आ ही नहीं सकता।

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के हेतु निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में श्री बसन्तलाल तथा श्रीमती प्रकाशवती सूद का कार्य-काल समाप्त होने के कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९३४ की धारा ४ (१) (बी०) के खंड (२) के अनुसार यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में श्री बसन्तलाल तथा श्रीमती प्रकाशवती सूद का कार्य-काल समाप्त होने के कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ (१) (बी०) के खंड (२) के अनुसार यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब इस प्रस्ताव के अनुसार मैं निम्न कार्यक्रम निश्चित करता हूं। नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय ११ अक्तूबर, १९५६ को सायंकाल ४ बजे तक। नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ११ अक्तूबर, १९५६ को सायंकाल ५ बजे। नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा समय २२ अक्तूबर, १९५६ को सायंकाल ५ बजे तक। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि तथा समय का मैं बाद में निर्णय करूंगा।

१९५६-५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५६-५७ वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, साधारण तौर पर जो नियम आदि प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें तो मुझे यह आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो बजट से संबंधित अनुदान हैं, या जो यह पूरक बजट है या मुख्य बजट है वह किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को ही रखना चाहिये न कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को। जो बजट से संबंधित विषय हैं उनके विषय में यह जरूर चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि माननीय धर्मसिंह जी कैबिनेट रैंक के होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी और मैं चाहता भी हूं कि वह हो जायं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ऐसी प्रणाली है। तो वित्तीय मामलों में यदि [illegible] बरती जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––लेकिन यदि आप यह समझें कि यह कन्वेन्शन के अनुसार नहीं है तो १९५६–५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष––इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस तरह की प्रथा आइन्दा के लिये उनको कायम करने में कोई विरोध नहीं है और कार्य की सुविधा के अनुसार उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। मैं इसके लिये उनको और क्या कहूं बधाई ही दे सकता हूं।

कांस्टीट्यूशन (सेविन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५६ में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करना चाहता हूं कि यह सदन भारत संविधान में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन (सेविन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५६ द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।.....

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––मुझे श्रीमन्, इसमें एक वैधानिक आपत्ति है। पहली आपत्ति मुझे यह है कि यह जो सेविन्थ अमेंडमेंट बिल को स्वीकार करने के हेतु जो संकल्प है उस सेविन्थ संशोधन बिल की कापी हमें अभी मिली है। अभी यह हमारी मेज पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें तीन वाल्यूम प्रोसीडिंग्स के हैं। इसका एक वाल्यूम तो हमको पहले अधिवेशन में प्राप्त हुआ था जिसमें ज्वाइन्ट रिपोर्ट छपी हुई है। वह मेरे पास मौजूद है। इसके बाकी दो वाल्यूम यहां आज ही बांटे गये हैं। इन दोनों वाल्यूम में सारी प्रोसीडिंग राज्य-परिषद् और लोक सभा की है। जो अन्तिम फैसला किया गया है। वह इसके तीसरे वाल्यूम में है और उसका विधेयक भी आज ही बांटा गया है। इसलिये प्रथम आपत्ति मेरी यही है कि इस पर आज हम बहस करेंगे तो हमको इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि बिल अभी प्राप्त हुआ है। जब तक हम बिल का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक मैं समझता हूं कि विवाद इस पर नहीं कर पायेंगे।

दूसरी आपत्ति यह है कि जो संकल्प है इस संकल्प के लिये नियम ७६ के अनुसार ७ दिन की नोटिस की आवश्यकता होगी। पहले भी सरकार की ओर से जो नोटिस दिया गया था वह सदस्यों के पास पहले भेज दिया गया था और उनको पहले ही मिल गया था। इस बार यह समाचार हमको प्राप्त नहीं हुआ कि पहले दिन ही यह प्रस्ताव आने वाला है। हमको सूचना होती तो हम मान लेते कि इसका नोटिस है। चूंकि एजेन्डा भी हमको अभी प्राप्त हुआ है और बिल हमारे पास पहले से पहुंचा नहीं था। मैं समझता हूं कि इसको वैधानिक आपत्ति के रूप में न मानते हुये भी दूसरे दृष्टिकोण से आज इस संकल्प पर विचार करना उचित नहीं होगा और यह नियम के विपरीत भी होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी सूचना है इस विधेयक की रूपरेखा उस समय सदन के सामने उपस्थित हो चुकी थी जबकि स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन का प्रश्न हमारे सामने विचारार्थ था और जैसा कि मैं दिखाऊंगा कि केवल एक महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुआ है। उस समय से लेकर अभी तक और कोई इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी सूचना माननीय सदस्यों को थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बाकी दूसरी बात जिसका जिकर नारायणदत्त जी तिवारी ने किया है कि उनको इस रूप में सूचना नहीं हुई इसमें एक दिक्कत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके अनुसार पहली नवम्बर को कार्यवाही हो जायगी और १५ अक्तूबर तक हमारे यहां से इसको पास हो जाना चाहिए। किसी भी हालत में एक हफ्ते का समय नहीं मिल सकता। १५ अक्तूबर के पीछे की तारीखें छुट्टियों की पड़ेंगी। इसलिये विशेष परिस्थिति है। उसमें इस बात को मानते हुये, कि माननीय सदस्यों को इसकी सूचना है, मेरा निवेदन है कि हमें इसको ले लेना चाहिए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा कि इसमें केवल एक ही नया महत्वपूर्ण संशोधन है, तो मेरा निवेदन है कि उसी महत्वपूर्ण संशोधन पर, चाहे उसकी संख्या १ ही हो, लेकिन चूंकि वह महत्वपूर्ण है, इसलिये सदन के सदस्यों को उस पर विचार करने के लिये, पढ़ने के लिये, समय चाहिये। मैं मानता हूं कि जो कठिनाई माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताई है कि १५ अक्तूबर तक उसे पास हो जाना चाहिये इसलिये ७ दिन का समय नहीं दिया जा सकता, और मेरा आपके द्वारा उनसे निवेदन है कि आज न लेकर कल या परसों लिया जा सकता है। ७ दिन के लिये हटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन १ दिन का समय तो दिया ही जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बीच के मार्ग को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस समय माननीय सदस्यों के सामने महत्वपूर्ण परिवर्तन आवेगा तो मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य स्वयं उसके संबंध में विचार करना बहुत कुछ आवश्यक नहीं समझेंगे। वह प्रस्ताव केवल बम्बई का नया प्रदेश बन जाने के संबंध में है। मेरा ख्याल है कि हममें से कोई शख्स बहुत ज्यादा उस विषय पर राय देना जरूरी नहीं समझेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—कल और परसों सप्लीमेंटरी बजट पर बहस होगी, ११ तारीख को बाढ़ का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बाद हम नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन कुछ समय हमको एकाध घंटे का तो मिलना ही चाहिये। मुख्य मंत्री जी अभी बोल लें और उसके बाद ३ बजे से रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित होगा, इससे आपत्ति भी खत्म हो जायगी और दो एक घंटे लोगों को विधेयक देखने को मिल जावेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, जो रूप रेखा हमारे सामने उस समय आयी थी, और जिस रूप में यह कानून पार्लियामेंट में बना, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसकी तरफ मैंने संकेत किया था। पहली रूप रेखा के अनुसार तो १५ स्टेट्स बनने वाली थीं, और ७ बनने वाली थीं यूनियन टेरिटरीज। अब ऐसा हो गया है कि जो परिवर्तन हुआ उसके परिणामस्वरूप १४ स्टेट्स और ६ यूनियन टेरिटरीज रह गयी हैं। पहले महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, स्टेट और बम्बई यूनियन टेरिटरी होने को थीं, लेकिन अब तीनों को मिला कर वृहद बम्बई स्टेट का निर्णय हुआ, बाईलिंगुअल, द्विभाषी। जैसा मैंने कहा, यह सवाल बड़ा टेढ़ा है। हो सकता है कि लोगों की राय इस सम्बन्ध में अलग-अलग हों, लेकिन जिस परिस्थिति में इस प्रश्न का निर्णय हुआ, पार्लियामेंट के निर्णय के बाद, जैसी घटनाएं, देश में हुईं, उन पर ध्यान देते हुए हमारा ऐसा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में कुछ राय देना, हमारे लिए कोई बहुत उचित नहीं होगा। क्योंकि हम जो कुछ भी कहेंगे, वह ऐसा ही है, जैसे आग में घी, आहुति, डालना होगा। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। हमें आशा करनी चाहिए कि पहली नवम्बर को बम्बई के नये राज्य में शान्ति रहेगी, क्योंकि बम्बई की शान्ति, समृद्धि और सुख में हम लोगों को भी दिलचस्पी है और उसमें सारे देश का कल्याण होगा। इतना कहने के सिवाय मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

इस परिवर्तन के साथ कुछ और परिवर्तन भी हुए हैं। मसलन इस समय ऐसा है कि प्रत्येक प्रदेश में एक गवर्नर होता है, लेकिन अब इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यदि प्रेसीडेंट चाहें तो दो या दो से अधिक राज्यों के ऊपर एक गवर्नर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गयी है। पहले ऐसा होता था कि जिस राज्य का गवर्नर होता था, उसी राज्य से उसको तनख्वाह दी जाती थी लेकिन जब कोई गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों का होगा तो उस केस में प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वे इसके साथ ही साथ इस बात का निर्णय कर दें कि जिन राज्यों के ऊपर वह गवर्नर होगा वे राज्य किस अनुपात से उनको तनख्वाह देंगे।

एक परिवर्तन पार्लियामेंट के सदस्यों के सम्बन्ध में भी हुआ है। हाउस आफ पीपुल के लिए अभी तक ५०० सदस्य होते हैं और नियम यह है कि ५ लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। लेकिन चूंकि जनसंख्या में परिवर्तन होता रहेगा इसलिए इस नियम को बदल दिया गया है। अब सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। ज्यों-ज्यों आबादी में परिवर्तन होगा, कांस्टीट्चुएंसी घटायी बढ़ायी जाती रहेंगी। इसलिए यह नियम कि इतने सदस्यों के पीछे एक सदस्य होना चाहिए यह हटा दिया गया है।

कौंसिल आफ स्टेट्स के बारे में अभी तक यह है कि किसी प्रदेश की आबादी अगर ५० लाख है, तो हर १० लाख के पीछे एक सदस्य होता है। लेकिन अगर ५० लाख के ऊपर आबादी है तो १० लाख नहीं बल्कि २० लाख के लिए एक सदस्य चुना जायगा। जैसे किसी राज्य की ५० लाख आबादी है तो ५ मेम्बर चुने जायेंगे और यदि आबादी ७० लाख है तो ६ मेम्बर चुने जायेंगे बजाय ७ के। इस फार्मूले को वैसा ही रख दिया गया है। पहले यह संख्या १९४१ के सेंसस के हिसाब से रख दी गयी थी लेकिन अब १९५१ की सेंसस के अनुसार चुनाव होगा। इसलिए कौंसिल आफ स्टेट्स के मेम्बरों की संख्या बढ़ जायगी। उत्तर प्रदेश में भी ३१ के बजाय कौंसिल आफ स्टेट्स के मेम्बरों की संख्या ३४ हो जायगी। इस प्रकार ३ मेम्बर और बढ़ जायेंगे।

इसके अतिरिक्त एक परिवर्तन और किया गया है। हमारे राज्यों में विधान सभा और विधान परिषदें हैं। विधान सभा के लिए नियम यह है कि ५०० से अधिक और ६० से कम मेम्बर नहीं होंगे। इसको रहने दिया गया है, लेकिन इसमें एक परिवर्तन यह किया गया है कि चूंकि हर सेंसस में आबादी में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन फिर भी उनकी संख्या वही रहेगी। आजकल विधान सभा में ७८ हजार आदमियों के पीछे एक मेम्बर चुना जाता है। तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जायगी, उसके हिसाब से कांस्टीट्युएंसी में तब्दीली होती जायगी। तो अब ५१ की जन संख्या के अनुसार अब यह ७८ हजार के पीछे एक के बजाय १ लाख के पीछे एक भी हो सकता है और किसी वक्त डेढ़ लाख के पीछे भी एक हो सकता है।

विधान परिषद् के लिए अभी नियम यह है कि जितने सदस्य विधान सभा के हों, उसके चौथाई तक विधान परिषद् के हो सकते हैं, लेकिन अब उसके बजाय तिहाई तक हो सकते हैं। इस वक्त हिसाब से हमारे यहां चौथाई हो सकते हैं, लेकिन उतने भी नहीं हैं. लेकिन अब तिहाई तक हो सकेंगे। अब दो एक और चीजों में परिवर्तन किया है। इस वक्त नियम ऐसा है कि प्रेसीडेंट को इस बात का अधिकार है कि जिन कामों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उनमें से किसी काम को चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार नहीं है कि जिन कामों को वह कर सकती है, उन कामों को सेन्टर को सौंपा जा सके। इस कांस्टीट्यूशन बिल द्वारा प्रेसीडेंट को अधिकार है कि वह सेन्टर का काम स्टेट गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दें। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार है कि जिन कामों को वह अब तक खुद कर रही है, उन कामों को वह चाहे तो सेन्टर को सुपुर्द कर दे। बाज काम ऐसे हैं, मसलन इर्रीगेशन की ही बात है। एक नहर है जो दो तीन स्टेट के बीच में से निकलती है, तो कौन स्टेट उस काम को करे? अलग-अलग स्टेट उस काम को

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

करें इसके बजाय अगर एक एजेंसी हो तो वह काम अच्छा हो सकता है और उसमें आसानी भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त कोई स्टेट गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकती है। अब यह किया गया है कि दो तीन स्टेट मिल कर ऐसे काम को सेन्टर के सुपुर्द कर सकते हैं, ताकि वह काम आसानी से हो सके।

एक परिवर्तन और किया गया है। कई तरह के रोजगार, व्यापार इत्यादि जो होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है लेकिन आज के कांस्टीट्यूशन के मुताबिक वह एक्जीक्यूटिव अधिकार के भीतर नहीं आता है कि वे ऐसा कर सकें। मसलन स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रोजगार को करना चाहे तो साधारण तौर पर वह उसके एक्जीक्यूटिव अधिकार में नहीं आता है। तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनावे तो उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट रोजगार कर सकती है। मसलन फौज के लिए ही कोई हथियार बनाने का कारखाना खोलना है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार के बाहर है, यद्यपि कारखाना खोलने की कोई बात नहीं है लेकिन मान लीजिए कि तोप ढालने के लिए कोई कारखाना खोलने की बात सोची जाय, तो उसके लिए पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर स्टेट गवर्नमेंट तोप ढालने का कारखाना खोल सकती है। यद्यपि तोप ढालने का कारखाना खोलना या ऐसे हथियार बनाने का कारखाना खोलना यू० पी० गवर्नमेंट के एक्जीक्युटिव अधिकार के भीतर नहीं है परन्तु स्टेट गवर्नमेंट उस काम को कर सकती है। उसी तरह से कोई भी रोजगार हो जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने की ही बात है, मिट्टी का खिलौना बनाना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना कर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मिट्टी के खिलौने बनाने की इजाजत दे सकती है। इस तरह से आयन्दा के लिये उनको इसके लिये अधिकार हो जाता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी वे इस किस्म के रोजगार करने की अनुमति दे सकते हैं और उस नियम के अनुसार पार्लियामेंट कानून बनावेगी। स्टेट गवर्नमेंट भी कोई कानून बना कर इस तरह का रोजगार करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दे सकती है जो कि उसके एक्जीक्यूटिव अधिकार में नहीं है।

इन दो तीन चीजों के अलावा कई ऐसे नियम है जिनका हाईकोर्ट की जजी से ताल्लुक है। मसलन इस वक्त स्टेट में एक हाईकोर्ट हुआ करता है। अब ऐसा उन्होंने रखा है कि अगर उचित समझा जाय और प्रेसीडेंट उचित समझे तो एक हाई कोर्ट कई स्टेट के लिये हो सकता है। एक बात उन्होंने यह कर दी है कि इस बात का भी अधिकार होगा कि किसी यूनियन टेरिटरी को किसी हाईकोर्ट के अधिकार में दे दें। मसलन हिमांचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिये अलग हाईकोर्ट नहीं होगा बल्कि उसे पंजाब या उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के अन्दर दे सकते हैं। इस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है।

दूसरी बात उन्होंने यह कर दी है कि हाईकोर्ट का जज जब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो तो उसे कम्पेनसेट्री एलाउन्स न दिया जाय। अब तक रूल यह है कि जब एक जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता है तो उसे कम्पेनसेट्री एलाउन्स मिलता है लेकिन अब तो सब हाईकोर्ट बराबर हैं, सारा देश बराबर है, कोई वजह नहीं है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर होने पर उनको कम्पेनसेट्री एलाउन्स दिया जाय।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस वक्त नियम यह है कि जो हाईकोर्ट का जज होता है वह रिटायर होने के बाद किसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसकी वजह से पिछले तीन चार वर्षों से बड़ी कठिनाई सारे देश में हो गयी है कि कोई अच्छा वकील हाईकोर्ट का जज होना मंजूर नहीं करता। जो सरकारी आदमी हैं उनको तो आप जहां चाहे हाईकोर्ट में रख दीजिये लेकिन हर प्रदेश में यह कठिनाई पड़ रही है क्योंकि अच्छे वकील सोचते हैं कि ५ वर्ष के बाद हमारा रिटायर होने का जमाना आ

जायगा और फिर हम कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे। ऐसी हालत में जिन वकीलों की अच्छी आमदनी है वे नहीं चाहते कि हाईकोर्ट की जजी में जायं। इसलिये अब यह कर दिया गया है कि जो लोग हाईकोर्ट के जज रहें वे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि या तो वे सुप्रीमकोर्ट में प्रेक्टिस करें या किसी दूसरे हाईकोर्ट में। जहां वे हाई कोर्ट के जज रहे होंगे वहां प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। इससे यह आशा की जाती है कि अब अच्छे वकील लोग भी हाईकोर्ट की जजी मंजूर करेंगे।

इसके अलावा माननीय सदस्यों को मालूम है कि कांस्टीटचूशन के सातवें शेडयूल में जो ऐंट्री ३३ है उसमें लिखा है कि किसी सरकारी काम के लिये लैंड एक्वीजिशन करने का अधिकार यूनियन को है। इसी तरह से जो स्टेट वाली ऐंट्री है उसमें सेक्शन ३६ में स्टेट गवर्नमेंट को भी लैंड एक्वीजिशन करने का अधिकार है और जो कान्करेंट लिस्ट में आइटम ४२ है उसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्टर को दोनों को अधिकार है, सेन्ट्रल और स्टेट लिस्ट दोनों में उसका नाम है, यह चीज गलत मालूम होती है, उन्होंने अब स्टेट और सेन्टर की लिस्ट में से उसको निकाल दिया है और कान्करेन्ट लिस्ट में रख दिया है कि दोनों को उसका अधिकार रहे।

एक और चीज नियम के विषय में है, इस वक्त जो पुराने जमाने के आर्चियालाजिकल रिमेन्स हैं या जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं या जो पुराने मानूमेंट्स हैं उनके बारे में मौजूदा कानून के मुताबिक यह है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा जिस बिल्डिंग का नाम ले तो वह सेन्टर के चार्ज में रहेगी वर्ना बाकी जिस स्टेट में वह होंगी उसी के चार्ज में रहेगी। इसमें दिक्कत यह पड़ती है कि अगर कोई नई चीज या इमारत कहीं जमीन के अन्दर से गड़ी मिले तो ऐसी हर चीज के लिए अलग-अलग, बार-बार कानून पास करना पड़ता है, लेकिन अब यह कर दिया गया है कि पार्लियामेंट के बनाये कानून के अनुसार हर इमारत के लिए बार-बार कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी। जहां तक मैं समझता हूं यह मुख्य-मुख्य चीजें थीं।

इसके अलावा कुछ बातें आंध्र स्टेट की हैं, वहीं पर कुछ मैसूर का भी जिक्र है, मध्य प्रदेश में आगे दो सदन होंगे, आंध्र में एलेक्शन हो चुके हैं अब फिर एलेक्शन वहां नहीं होंगे, इसी तरह से ट्रावनकोर स्टेट के बारे में है कि वह शुरू से ४५ लाख रुपया धर्मादे के लिए खर्च करती थी, अब सवाल यह था कि मर्जर के वक्त ट्रावनकोर की आय से क्या दिया जाय तो अब नई स्टेट में घटा बढ़ा कर जो रकम रखी गई है वह यह है कि धर्मादे के लिए ४० लाख रुपया दिया जायगा। यह छोटे-छोटे नियम हैं, मैं समझता हूं वह कोई ज्यादा महत्व की चीज नहीं है, मुख्य-मुख्य बातें यही थीं जो मैंने बतायीं।

इसके अलावा मैं एक दो चीज की तरफ और सदन का ध्यान दिलाऊंगा। दो सेक्शन्स ३५०-ए० और ३५०-बी० और जोड़े गये हैं और वह इसलिए कि जिस वक्त स्टेट्स लैंगवेज कमीशन की रिपोर्ट आयी तो उसमें यह चीज लिखी थी कि कुछ जगहों में जो लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को भाषा की दिक्कत होती है उनके लिए उन्होंने सिफारिश की कि यह चीज गवर्नर के हाथ में दी जाय, लेकिन इस तरह के अधिकारों का गवर्नर के हाथ में देना डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के विरुद्ध सा होता है। जो नई स्टेट्स बन रही हैं उनमें लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का सवाल बड़े महत्व का होगा, मराठी भाषा बोलने वाले फिर भी मध्य प्रदेश में रह जायंगे, बंगाल और बिहार की जो कुछ जमीन की अदला-बदली की बात है उससे कुछ हिन्दी भाषी बंगाल में आ जायंगे और बंगला बोलने वाले अब भी कुछ लोग बिहार में हैं और रहेंगे, इसी तरह से मैसूर या कर्नाटक में और दूसरी जगह जो लिन्गविस्टिक माइनारिटीज होंगी या जो ऐसी पाकेट्स होंगी उनको जो दिक्कत हो सकती है उसको दूर करने के लिए यह रखा जा रहा है और स्टेट्स का यह कर्त्तव्य

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
होगा कि वह देखें कि इस किस्म की रक्षा होती है या नहीं। गवर्नमेंट आफ इंडिया एक अफसर सेन्टर का रखेगी जो समय-समय पर देखता रहेगा और प्रेसीडेंट के पास रिपोर्ट देगा कि उनकी रक्षा हो रही है या नहीं।

इतना ही मैं समझ पाया हूं जो इस कानून में है। इसके अनुसार १ नवम्बर से स्टेट्स बनेंगी और उस पर अमल होगा, कुछ स्टेट्स ने इसको मंजूर कर लिया है और हमें भी इसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारे देश में एक प्रसन्नता और गुडविल का वातावरण उत्पन्न हो, यह एक बड़ा भारी परिवर्तन होगा और हम चाहते हैं कि यह नए राज्य हमारे यहां हंसी खुशी के वातावरण में बन सकें और दुर्भाग्य से जो बीच में थोड़ा सा मनमुटाव पैदा हो गया था वह दूर हो जायगा। थोड़े में इस बिल में इतनी ही बातें हैं और इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं यह सब सदन के सामने रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो अब ३ बजे से इस पर वाद विवाद हो जायगा।

(इस समय १२ बज कर ४६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज कान्स्टीट्यूशन के रेटिफिकेशन के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कांस्टीट्यूशन के मातहत हम उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं और इस लेजिस्लेचर को सिर्फ इस बात का अधिकार है कि हम या तो उसे स्वीकार करें या उसे नामंजूर करें और इस लिये हमने यह उचित समझा कि हम उस पर कोई अमेंडमेंट न दें क्योंकि वह बेकार सा हो जायगा। पर कुछ अपने सुझाव के रूप में—जो हिन्दुस्तान की हमारी पार्लियामेंट है, जहां कि यह हमारे कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है उनके विचारार्थ कभी बाद को कांस्टीट्यूशन में किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़े उस समय हमारे इस प्रदेश के जो लेजिस्लेचर के मेम्बर्स हैं उनकी राय का भी वे लोग ख्याल करें—मैं इसलिए कुछ यहां पर कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का एक नया निर्माण सा हो रहा है और ऐसी आशा की जा रही है कि पहली नवम्बर को हमारे इस सारे देश के अन्दर जो स्टेट्स का रिआर्गनाइजेशन हुआ है उसके मातहत अलग-अलग स्टेट्स बन जायंगी और कुछ हमारी ऐसी टेरीटरीज होंगी जो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज कहलायेंगी जिनका कि इन्तजाम दिल्ली से होगा। हम सब यही आशा करते हैं कि यह काम अच्छी तरह से हो और सब यही चाहते हैं कि पीसफुली हमारे सारे काम आगे बढ़ें और सारे देश के अन्दर एक अमन और चैन का वातावरण कायम रहे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ जो प्रोसीडिंग्स हमारे सामने रखी गई हैं उन्हें पढ़ करके हम लोग अंदाजा नहीं लगा सके कि इस पहली नवम्बर को जब सारी स्टेट्स हिन्दुस्तान की नयी बन जायंगी उसके बाद चुनाव कब हो सकेगा। इसका कुछ पता नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाहे वह होम मिनिस्टर हों या इलेक्शन कमीशन हो, उनकी तरफ से अब यह ऐलान हो ही जाना चाहिए कि देश के अन्दर चुनाव किस तारीख को होंगे और होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरियाज होंगे जैसे दिल्ली है वहां पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि एक कार्पोरेशन बनेगी और उसमें अडल्टफ्रेंचाइज के जरिये चुनाव होगा और उस कार्पोरेशन को अधिकार होगा कि वह काउंसिल आफ स्टेट्स में जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है उसमें अपने प्रतिनिधि भेज सके। वह कार्पोरेशन तब बन सकेगी जब पार्लियामेंट में कोई बिल आयेगा। जब तक यह सारी तैयारियां न हो जायं तब तक चुनाव हमारे सामने हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं मालूम होता है।

तो मैं आपके जरिये हिन्दुस्तान की हुकूमत से इस बात के लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा कि अब वह इस बात को स्पष्ट कर दे कि आया इस देश के अन्दर चुनाव हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। हमारी इच्छा है कि उसमें कोई देर न हो। पर जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें अभी कोई सफाई नहीं है। इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के पास या जिन आर्गेनाइजेशन्स के पास काफी रुपया है वह इस इलेक्शन मशीनरी को गिअर अप करने के लिए अपना रुपया दो दफा खर्च कर सकते हों लेकिन बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे दो, दो दफा एलेक्शन मशीनरी को गिअर अप कर सकें। इसलिए साफ हो जाना चाहिए कि चुनाव देश के अन्दर कब होंगे। वह हमारे मुख्य मंत्री के हाथ की बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को जरूर बताना चाहिए कि आया चुनाव हो सकेंगे या नहीं और होंगे तो किस तारीख से होंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ और ऐसी बातें हैं जिन पर मैं समझता हूं कि हमारी जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं हिन्दुस्तान की उनको इस बात पर अवश्य विचार करना है कि हमारे जो आज अपर हाउसेज हैं चाहे वह सेंटर के अन्दर कौंसिल आफ स्टेट्स हों और चाहे स्टेट्स के अन्दर काउंसिल्स हों उनका हमारे देश के अन्दर रहना ठीक है या नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि दोनों हाउसेज एबालिश कर दिये जायं। संविधान में ऐसा संशोधन होता कि दिल्ली में जो अपर हाउस है वह भी तोड़ दिया जाता और हमारी स्टेट्स के अन्दर जो काउंसिल्स बनी हुई है वह भी तोड़ दी जायं, क्योंकि उनसे कोई फायदा हमारे देश को नहीं है। इन बाडीज को न तो फाइनेंशल पावर्स हैं, इनके यहां बजट नहीं पेश हो सकता है। इन के यहां बजट पर बहस नहीं हो सकती है। सिर्फ एप्रोप्रिएशन बिल जो एक बिल के रूप में अपर हाउस में जाता है, उसी पर बहस कर सकते हैं।

और अध्यक्ष महोदय, हमारी काउंसिल्स और काउंसिल आफ स्टेट्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि उनमें वह लोग भेजे जाते हैं जो नीचे के चुनावों में कभी-कभी हार भी जायं तो उनके लिए यह असाइलम सा बना देना, चाहे वह किसी पार्टी के हों, चाहे किसी दूसरी पार्टी के मेम्बर असेम्बली में ज्यादा हो जायं, वह पार्टी भी उन मेम्बरों को काउंसिल के अन्दर भेजती है। जिनको किसी कारण सीट न दे सकते हों, या किसी कारण खुश करने के लिए, या जो बहुत से हार गये हों उनको काउंसिल में भेज दिया करते हैं। यह एक ही पार्टी के लिए नहीं है। हर एक पार्टी के लिए है। जिसकी जहां मेजारिटी होगी वह उनको वहां डालने की कोशिश करेंगे जो यहां से हारे हुए हों तो ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा मौका मिला ही नहीं होगा कि अपर हाउस ने हमारे किसी रिजोल्यूशन को टर्न डाउन कर दिया हो या किसी तरह से ऐप्रोप्रिएशन बिल वगैरह जो यहां से पास होते हैं, उनमें कोई तरमीम की हो या और भी किसी तरह से कोई ऐसा अमेंडमेंट किया हो। सिर्फ कुछ लोगों को उस जगह पर लगा देने के लिए ही, यही अगर उद्देश्य है इन अपर हाउसेज का, तो इनको खत्म कर देना चाहिए, सेन्टर में भी और स्टेट्स में भी। इसकी हिन्दुस्तान में कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो लड़ाई चली राजा और जनता की पार्टी के मुकाबले में। यहां पर तो ऐसी कोई लड़ाई है नहीं। यहां पर तो सारे जनता के प्रतिनिधि चुन कर आते हैं और वही लोग उनको भी चुनते हैं, अपर हाउसेज के लिए। थोड़ी सी सीट्स ऐसी रहती हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय नामिनेट करते हैं और स्टेट्स के अन्दर गवर्नर करते हैं नामजद और बाकी जितने हमारे एसेम्बली के मेम्बर के जरिये चुने हुए हैं, यह कोई नामिनेटेड नहीं हैं। जनता ने उनको चुन रखा है, और उस जनता की राय फाइनल होनी चाहिए, उसको कोई ठुकराने वाली ऊपर की बाडी नहीं होनी चाहिए। जिन्हें हम चुन करके यहां से भेजते हैं। जो जनता की राय है, उस पर वह कोई रोक-टोक नहीं लगा सकते हैं और न उन्होंने लगायी। इसकी कोई युटिलिटी हमें नहीं दिखायी देती और मैं समझता हूं जब आगे कांस्टीटचूशन में अमेंडमेंट की बात रखी जाय,

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सारी पोलिटिकल पार्टीज को इस बात का फैसला करना चाहिए कि आया यह दोनों हाउसेज रहें या न रहें। इस पर भी विचार होना चाहिए। हमारी तो निश्चित राय है कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन दोनों हाउसेज़ को खत्म कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट में एक जगह यह कहा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह स्टेट्स के गवर्नर्स को कुछ काम दे सकते हैं इसी तरह से हमारे गवर्नर्स भी जो दूसरी जगह काम करते हैं, उसको वह सौंप सकते हैं। इसमें आज तक दिक्कत पड़ती थी और उसको दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने यह होती है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जितने वर्क्स हमारे स्टेट के अन्दर होते हैं, उनमें सारा रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, लेकिन वह हमारी स्टेट के अन्दर हैं। उनके एकाउन्ट्स की जांच करने के लिए हिन्दुस्तान के सारे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैनों की जो कान्फ्रेंस हुई, उसमें एक झगड़ा उठा कि आया सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े वर्क्स स्टेट के अन्दर होते हैं, उनमें स्टेट की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इन्टरफियर कर सकती है या नहीं कर सकती। सेन्ट्रल पी० ए० सी० का यह कहना है कि नहीं, स्टेट्स की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हमारे बड़े-बड़े जो काम स्टेट्स के अन्दर होते हैं, उनमें किसी किस्म की जांच वगैरह नहीं कर सकती और सारी स्टेट्स की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैनों की यह राय थी कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी कोई वर्क हो जो उनकी स्टेट्स के अन्दर चलाया जाता है और उसमें उस स्टेट का कुछ हाथ होता है, तो स्टेट की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को पूरा पूरा अख्तियार है कि उनके एकाउन्ट्स की जांच करे। इसलिए जब अमेन्डमेंट यहां आया तो मैंने सोचा कि यह थोड़ी सी बात है जो कि हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं,उनकी नोटिस में इस बात को ला सकें। जब आप हमको पावर्स देते हैं, और हम उनको दे सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी स्टेट की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उन कामों के एकाउन्ट्स को न देख सके। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए रुपया दिया जा रहा है वह ठीक तरह खर्च हो रहा है या नहीं या उसकी कोई युटिलिटी है या नहीं, यही देखना हमारा काम है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां एक्जीक्यूशन की पावर सेन्टर स्टेट को दे सकता है और स्टेट सेन्टर को दे सकती है, वहां पर यह भी साफ साफ हो जाना चाहिए, कि दोनों पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटीज चाहे सेन्टर की हों, चाहे स्टेट की हों, दोनों इतनी पावरफुल हों कि वह इन सबको देख सकें। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स इनकी तरफ भी ध्यान देंगे और इसकी भी सफाई हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कौंसिल में एसेम्बली के मेम्बर्स का एक चौथाई पहले था, एक तिहाई अब हो गया, जैसे ४३० मेम्बर्स हम हैं तो अगर एक तिहाई लिया जायगा तो कौंसिल में काफी मेम्बर्स बढ़ जायेंगे। खर्चा भी बढ़ जायगा और दिल्ली वाले लोग जो सब यही कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश डामिनेट करता है दिल्ली के अन्दर वह फिर कहने लगेंगे कि उत्तर प्रदेश फिर तीन और सीट लेकर काउंसिल आफ स्टेटस् में आ गया। तो अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उन लोगों की शिकायतें, साउथ इन्डियन्स की या जो लोग भी ऐसा कहते हों, वैसे तो हम लोग डामिनेट नहीं करते, यह बात गलत है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश किसी हालत में भी डामिनेट नहीं करता है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां के हैं, होम मिनिस्टर हमारे यहां के हैं, फूड मिनिस्टर हमारे यहां के हैं, सभी यहां के हैं। यह बात ठीक है। लेकिन इसमें कोई प्राविंश्यलिज्म हमारे यहां नहीं है और वह हमेशा यही कह दिया करते हैं कि या तो मिनिस्टर्स बनवा लो या रुपया ले लो। हमारी तो प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, कि मिनिस्टर्स हमारे जो हैं चाहे उनको निकाल दिया जाय, लेकिन रुपया हमारे प्रदेश को बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। प्रदेश के अन्दर इन्डस्ट्रीज नहीं हैं, वह खुलनी चाहिए। आज तो हैवी इन्डस्ट्रीज का भी चार्ज पन्त जी के पास आ गया है तो इसके माने क्या यह हैं कि उत्तर प्रदेश में अब हैवी इन्डस्ट्रीज ही

इन्डस्ट्रीज हो जायेंगी ? ऐसी आशा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह करते नहीं हैं। इसलिए अपने आदमी तो बाहर रहें, पार्लियामेंट में रहें, वहां पर ज्यादा जोर दें और उनको मजबूर करें कि उत्तर प्रदेश को रुपया ज्यादा मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश का इन्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। आज पूर्वी जिले बाढ़ से ग्रस्त हो गये हैं। मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें कुछ रुपया अवश्य मिलना चाहिए। तो जहां तक एक तिहाई की बात है, अध्यक्ष महोदय, यह भी बढ़ जाने से हमारे लोग बढ़ेंगे। हम तो उसके बिलकुल एबालिशन के फेवर में हैं। इसे रखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हैं तो हमने जो अपनी राय इस पर दी थी, वह जाहिर कर दी।

अब अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि एक लिंग्विस्टिक माइनारिटीज की बात जो इसमें रखी गयी है, यानी जो कम लोग कोई भाषा बोलने वाले किसी प्रदेश में होंगे, उनके लिए प्राईमरी एजुकेशन का इन्तजाम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। यह मैं समझता हूं कि बहुत से उन लोगों को सेटिस्फाई करेगा जो बहुत सा झगड़ा इस प्रकार का खड़ा करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारे हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है और उसे कोई ऐसा करे कि वह कम कर दी जाय या खत्म कर दी जाय, यह बात नहीं हो सकती है। लेकिन जो कोई ऐसी बात किया करते थे कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है मैं समझता हूं कि यह जो क्लाज इसमें ऐड कर दिया गया है इससे उन लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जायगा जो कि इस प्रकार का प्रचार हमारे देश के अन्दर किया करते थे।

अध्यक्ष महोदय, समय भी नहीं है और हमको अगर अमेंडमेंट का अधिकार होता तो हम शायद कुछ अमेंडमेंट वगैरह देते, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आ सकता। इसलिए इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब नेक्स्ट टाइम हमारा कांस्टीट्यूशन अमेंड होगा तो हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर इन चीजों का ख्याल रखेंगे और हम लोगों की जो इच्छा है उसके मुताबिक कार्य इस देश में होगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। भारतीय संसद ने जो संविधान का संशोधन किया है वह जाब्ते से आज हमारे सामने पेश है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमारे प्रान्त से खासतौर से सम्बन्ध नहीं है। जहां तक कि सीमाओं के रिआर्गेनाइजेशन का सवाल है मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही एक प्रकार से हमें चेतावनी दी है कि हमारे लिए इस सम्बन्ध में कहना मुनासिब नहीं होगा। देश में इस सिलसिले में जो कुछ हुआ वह इतिहास का अंग ही बन गया है लेकिन जो हुआ वह संसद के निर्णय से हुआ और संसद में सारे भारत के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो अपने विचार से ठीक जाना वही फैसला हुआ। कुछ लोग अगर अब भी इसका विरोध करते हैं तो हम इस सदन में यही आशा रख सकते हैं और यही कह सकते हैं कि यह विरोध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जायगा। मैं इस सम्बन्ध में, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस संशोधन में कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे हमारा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है।

जहां तक कि उद्योग-धंधों का सम्बन्ध है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। अगर मुझे समय मिला तो मैं बाद में भी उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। मैं विशेष कर हाई कोर्ट के सम्बन्ध में जो संशोधन हुआ उस पर कुछ शब्द कहूंगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि जहां तक कि हाईकोर्ट के जजों का सम्बन्ध है, इस संशोधन में काफी बातें रखी गयी हैं। सन् १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में एक तो परमानेंट जजेज हुआ करते थे और उसके साथ-साथ ऐडीशनल और ऐक्टिंग जजेज का स्थान था। जिस वक्त आवश्यकता पड़ती थी तो कुछ समय के लिए ऐडीशनल जजेज मुकर्रर कर दिये जाते थे। जब हमारा नया संविधान बना तो उस समय ऐडीशनल और ऐक्टिंग जजों के लिए

[श्री शिवनाथ काटजू]

कोई स्थान नहीं रखा गया। वहां केवल एडहाक जजेज के लिए स्थान रखा गया। जिस वक्त यह समस्या कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के सामने आई तो वहां भी इसके ऊपर काफी मत-मतान्तर था। डा० अम्बेदकर जो उस समय ला मिनिस्टर थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किये कि हम एडहाक जजों को रख कर उनसे वही काम ले सकेंगे जो कि हम ऐडीशनल जजों को रख के करते हैं। दूसरी तरफ से यह कहा गया कि अगर एडहाक जज का वही रूप रखा जायगा जो ऐडीशनल जजों का है तो इससे जुडीश्यरी की स्वतंत्रता पर बड़ा आघात आ जायगा और जजी के लिए लोगों की आंखें एग्जीक्यूटिव की तरफ रहेंगी। इंगलैन्ड का जो तरीका है वह क्या है? वहां एडहाक जजेज की जो प्रणाली है उसके अन्दर एडहाक जजेज मुकर्रर कर दिये जाते हैं लेकिन एक खास तरीके से। अगर कोई जज रिटायर हो गया लेकिन वह किसी ब्रांच आफ ला में विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है जैसे कि इनकम टैक्स या ऐडमीरेल्टी जुरस्डिक्शन या इंटरनेशनल ला और उस मसले का कोई मुकदमा आये तो उस खास मुकदमे के लिए एडहाक जजेज की वहां नियुक्त होती है और उनका एक बंधा हुआ रेट है कि ८ या १० पांउड रोज उनको दिया जाता है। लेकिन यहां जो एक खास समय के लिए, साल भर के लिए या डेढ़ वर्ष के लिए जरूरत थी कि उनकी नियुक्ति करें और वह हर प्रकार के मुकदमें करें जैसे और जजेज करते हैं तो यह चीज इंगलैंड की प्रणाली से भिन्न थी। तो जिस वक्त संविधान में एडहाक जजों का स्थान रखा गया तो हमारे हाईकोर्ट में यह समस्या सामने आई कि इस प्रकार के जज कुछ समय के लिए मुकर्रर किये जायं और उनसे इस प्रकार का काम लिया गया जैसा कि ऐडीशनल जज करते हैं, ऐक्टिंग जज करते हैं, लेकिन सिद्धान्त के रूप से उसका विरोध ही हुआ। आज यह जो संशोधन सदन में प्रस्तुत है, उसमें फिर पुरानी प्रणाली को ही स्थान दिया गया है अर्थात् दो वर्ष के लिये ऐडीशनल जज मुकर्रर किये जा सकते हैं और अगर कोई जज दो चार महीने की छुट्टी पर जाय तो उसके स्थान पर ऐक्टिंग जज को रखा जा सकता है। जैसा कि इसके अंदर संकत किया गया है आज कल की परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है और मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हमारे प्रांत का संबंध है, वह परिस्थिति काफी गम्भीर हो गई है और मैं श्रीमन्, दुख के साथ निवेदन करूंगा कि इस संबंध में मेरा अपना ख्याल है कि सदन जितना इस पर विचार करना चाहिये वह नहीं कर पाता है।

आज हमारे प्रांत की स्थिति यह है कि हाई कोर्ट के अन्दर फर्स्ट अपील यानी अपील अव्वल १९४४–४५ की पड़ी हैं जो हाईकोर्ट में दायर हुई थी और गालिबन उसके ३,४ वर्ष पहले सब जजी में या सिविल जजी में दाखिल हुई थीं। फौजदारी के मुकदमों की हालत यह है कि १९५१-५२ के कुछ मुकदमों का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। खास कर बिना फैसल दीवानी मुकदमों का जहां तक ताल्लुक ह, मैंने निवेदन किया था कि उनकी संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अगर २० वर्ष की परिस्थिति को मिला कर देखा जाय तो कभी भी ऐसा नहीं था कि फैसले में इतनी देर होती हो जितनी कि आज कल हो रही है। दूसरे प्रांतों की बात मैं नहीं कह सकता हूं कि वहां यह चीज है या नहीं। लेकिन आठ-आठ, दस-दस साल तक मुकदमे पड़े रहें और फैसला न हो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी वजह से जहां सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का संबंध है, लोगों में यह भावना पैदा होती जा रही है कि अगर किसी झगड़े के संबंध में अदालत में गये तो ८, १० वर्ष लग जायंगे और मालूम नहीं कितने और साल लग जायं और पता नहीं फिर क्या हो? यह भावना किसी राज्य के लिये अच्छी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए जो कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन किया गया है, वह बहुत मुनासिब है। इसके अंदर गुंजायश रखी गई है कि जहां आवश्यकता पड़े ऐडीशनल तथा ऐक्टिंग जज रखे जा सकते हैं।

इसके साथ ही साथ जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया कि यह स्थिति भी आ गई थी कि हमारे संविधान के नियमों के अनुसार हाईकोर्ट जज पेंशन के बाद वकालत नहीं कर सकता था। इसका फल यह हो गया था कि योग्य व्यक्तियों से जज होने के लिये

कहा जाता था तो वे संकोच करते थे और उनका यह ध्यान होता था कि ५, ६ साल के बाद हमारा क्या हाल होगा? इसके लिये यह सुझाव भी रखा गया था कि रिटायरमेंट की एज ६० साल के बजाय ६२ कर दी जाय जब सुप्रीम कोर्ट में ६५ साल तक है। लेकिन मेरा खयाल यह है कि यह लिमिट ठीक ही है और ६० साल की अवधि मुनासिब भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ संशोधन में जजों को अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहें तो रिटायर होने के बाद अपने हाईकोर्ट के अतिरिक्त और जगह वकालत करना चाहें तो इसमें अब कोई बंधन नहीं रह जायगा और कोई रोकथाम नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत मैदान खाली है और योग्य व्यक्तियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ इस संशोधन में एक बात और रखी गई है कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जज भेजे जा सकते हैं। हमारे संविधान में, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, पहले यह बात थी। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी था कि उनके लिये कुछ विशेष मात्रा में एलाउन्स की भी आवश्यकता थी। आज उस रोक को हटा दिया गया है। इसके बारे में भी काफी मत मतान्तर हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि अगर एक जज को दूसरे प्रान्त में भेजा जाय तो वहां की भाषा वह नहीं जानेगा। अगर किसी बम्बई हाईकोर्ट के जज को जो गुजराती भाषा जानता है, अगर बंगाल भेजा गया और वह बंगाली नहीं जानता है तो उसे असुविधा होगी। कुछ हद तक यह सही है। लेकिन हम तो यह आशा करते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कुछ दिनों में एक ऐसी मान्यता धारण कर लेगी कि इस प्रकार की बाधा नहीं रहेगी और जैसे अंग्रेजी के अन्दर अब तक कोर्ट्स में काम चल रहा है उसका स्थान हिन्दी ग्रहण कर लेगी। लेकिन इसके साथ-साथ जहां तक उत्तर भारत का सम्बन्ध है तो उत्तर भारत के सूबों में, जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार, सभी हिन्दी जानते हैं और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अगर कोई जज भेजा जाय तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। शुरू से ही यह ख्याल था कि हाईकोर्ट की बेन्च के लिये भी यह अच्छा होगा कि उसमें एक प्रकार की ताजगी आये और उसमें ऐसे व्यक्ति हों जो कि दूसरे हाई कोर्ट के हों। इससे उनमें एक प्रकार की यूनिफार्मिटी भी आती है और एक प्रान्त का स्टैंडर्ड दूसरे प्रान्त में भी जा सकता है और जुडिशियरी की टोन करीब-करीब हर प्रान्त में धीर-धीरे एक सी हो जायगी। आज तो इसकी और ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि राज्यों के पुनर्निर्माण के बाद बहुत से राज्य ऐसे थे जैसे 'बी' और 'सी' क्लास स्टेट्स, जहां कि जुडिशियरी का स्तर 'ए' क्लास स्टेट्स की जुडिशियरी के स्तर से कुछ नीचा था। अब अगर यह रास्ता खुल जायगा और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जज जाने लगेंगे तो उससे हर तरह का फायदा होगा। यह बहुत मुनासिब बात है।

इसके साथ-साथ इसमें यह भी रखा गया है कि जहां आवश्यकता हो दो प्रान्तों के लिये एक कामन हाई कोर्ट हो। मेरे ख्याल में अब इसकी आवश्यकता ज्यादा जगह नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जिस तरह से राज्यों का संगठन हुआ है उसमें दो, चार जगहों को छोड़ कर, जैसे हिमांचल प्रदेश है बाकी राज्य काफ़ी बड़े बने हैं। लेकिन संविधान में यह नियम रखना कि जो एक आध छोटे राज्य होंगे उनके लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि एक छोटा सा हाईकोर्ट वहां बनाया जाय बल्कि जो पास पड़ोस का बड़ा हाई कोर्ट है उसके द्वारा ही काम लिया जायगा मुनासिब है।

संविधान के इस संशोधन में जहां तक हमारी जुडिशियरी का ताल्लुक है काफी महत्व की बातें हैं। इस पर संसद और कौंसिल आफ स्टेट्स में काफी विचार हुआ और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अब जो संशोधन रखे गये हैं वे हर तरह से मुनासिब हैं। मैं भी आपके द्वारा इनका स्वागत करता हूं। अब और ज्यादा समय नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं आपकी आज्ञा से उस असुविधा की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जो जिस तरह से यह लाया गया है उसके सम्बन्ध में हुई।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आज यह कहा था कि पन्द्रह अक्तूबर तक इसको पास कर लेना है और चूंकि ९, १० और ११ को और आवश्यक कार्य हैं जो टल नहीं सकते और उसके बाद अधिवेशन नहीं है, इसलिये इस पर आज ही विवाद होना है। वह बात बहुत ही उचित थी और हमने उसको स्वीकार भी किया, लेकिन यह बात तो मुख्य मंत्री महोदय को मालूम थी कि ८ को ही इस पर विचार होगा और आज ही इसे कर लेना है, तो इस अधिवेशन को उन्होंने चार से ही क्यों नहीं बुला लिया जिससे सदन को और सदन के सदस्यों को असुविधा न होती।

दूसरी बात यह है कि अगर यह भी सम्भव नहीं था तो सेविन्थ अमेंडमेंट का जो यह साहित्य है वह सदस्यों के पास कम से कम दो दिन पहले ६ तारीख को पहुंच जाता तब भी कठिनाई न रहती बल्कि इसके बजाय मैं स्वयं ६ तारीख को यहां नोटिस आफिस में दो बार, एक प्रातःकाल ११ बजे और दोबारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सिलसिले में पौने दो बजे आया और कोशिश की कि साहित्य मुझे मिल जाय लेकिन वह मुझे न मिल सका। इसलिये यह कठिनाई हमें हो रही है। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से कि भविष्य में वे इस बात का ख्याल रखेंगे कि सदस्यों को इस प्रकार की असुविधा न हो।

अब, संकल्प के सम्बन्ध में मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। असमर्थ और बातों के सम्बन्ध में नहीं केवल प्रदेशों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मेरी असमर्थता है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह इच्छा प्रकट की थी कि अब जो कुछ हो गया है उसको देश की जनता शान्तिपूर्वक स्वीकार करे। इस सदिच्छा में मैं उनके साथ हूं मैं भी यह चाहता हूं कि यह शान्तिपूर्वक स्वीकार कर लिया जाय और अगर शान्तिपूर्वक स्वीकार न हो तब भी इसके विरुद्ध जो कोई भी आन्दोलन हो वह वैध उपायों से और जनतांत्रिक ढंग से हो और उसमें हिंसात्मक उपद्रवों से काम न लिया जाय, जैसा देश के दुर्भाग्य से लिया गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है---"if wishes were horses, beggars might ride".

अर्थात् अगर इच्छायें और सदिच्छायें घोड़ियां होती हैं तो फकीरों को भी पैदल न चलना पड़ता और वे भी सवारी करते। और मुख्य मंत्री महोदय, मेरी और हम सब की सदिच्छायें पूरी हो पायेंगी या नहीं इसमें सन्देह है। इसके कई प्रत्यक्ष कारण हैं। अभी अहमदाबाद में हमारे प्रधान मंत्री महोदय के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए वे तो इस बात के सूचक नहीं हैं कि यह शान्तिपूर्वक देश की जनता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। खास तौर से दो बातों के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है।

यह जो हमारे बोर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो दक्षिण में अधिकतर हैं, बिहार और बंगाल में हैं, बिहार और उड़ीसा में हैं, वह तो हैं ही, इसके अलावा मैं समझता हूं कि महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र के प्रश्न को जिस तरह से इसमें रखा गया है और जिसके सम्बन्ध में यह संशोधन आया है, मुझे इस बात में सन्देह है कि देश की जनता उसे स्वीकार करेगी। यह तो मैं भी चाहता हूं कि वे आन्दोलन करें तो वैध जनतांत्रिक ढंग से करें, लेकिन मुझे इस बात में गहरा सन्देह है कि यह देश की जनता को स्वीकार होगा। यह जो हल पुनर्गठन का किया गया है वह मुझे स्थायी नहीं मालूम होता।

भाषावार प्रदेशों के पुनर्गठन का प्रश्न जब से कांग्रेस, जनता की संस्था हुई तब से उसके सामने है। जब से महात्मा गांधी के नेतृत्व में वह आयी, उसी दिन से यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि भाषावार प्रदेशों का पुनर्गठन होना चाहिए। महात्मा जी की जैसी आदत

थी कि वह जो कहते थे, उसको उसी समय कार्यरूप में परिणत कर के दिखाते थे। इसीलिए उन्होंने यह किया कि शासन में जब कांग्रेसी आये, तब तो यह करेंगे ही, लेकिन उस से पहले कांग्रेस के प्रदेशों का गठन भाषा के आधार पर ही होगा और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और माननीय सदन के सब सदस्यों को मालूम होगा कि कांग्रेस के प्रदेश भाषा के आधार पर ही बने, और अब से कुछ दिनों पहले तक उन्होंने कार्य किया। तो भाषा के आधार पर इन प्रदेशों के पुनर्गठन का सिद्धांत जब से कांग्रेस वास्तव में राष्ट्रीय संस्था बनी, मास संस्था बनी तब से लेकर आज तक बराबर माना गया है। यह उसका माना हुआ सिद्धांत था, इस सिद्धांत से मुझे खुशी है कि इस तरह से इन्कार करते हुए भी उसमें माना गया है, —केवल दो प्रदेश ऐसे हैं—पंजाब और बम्बई— जिनको बाइलिंगुअल करार दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि सब प्रदेशों को तो भाषा के आधार पर बनाना, लेकिन केवल दो को अपवाद स्वरूप करना, न तो कोई बहुत अच्छा ही मालूम पड़ता है और न सिद्धांत के अनुकूल ही मालूम पड़ता है। इसीलिए मुझे यह भय है कि क्या यह जनता को उसी तरह से मान्य होगा, देश की जनता को, कि जिस तरह से होना चाहिए?

दूसरी बात उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन न होने की वजह से मध्य भारत के वह हिस्से जो ग्वालियर के पास हैं, हरियाना के जिले हैं, दिल्ली का प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश के कुछ जिले और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह सन्तुष्ट नहीं है। यह सही है कि वहां की जनता ने उस तरह का कोई आन्दोलन नहीं किया, उस तरह का कोई उपद्रव नहीं किया, उस तरह की हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की, जैसी कि भारत के और दूसरे प्रदेशों में इस सवाल को लेकर हुई है, और यह भी कहना कि इस प्रकार कि हिंसात्मक कार्यवाही बुरी है, इस प्रकार का आन्दोलन खराब है, यह भी ठीक है, यह नहीं होना चाहिए, मैं इस से सहमत हूं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता इस प्रकार का उपद्रव न करे तो उसकी उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। जिस तरह की एक देहाती कहावत है "चित भी मेरी, पट भी मेरी", वह नहीं होना चाहिए। जनता आन्दोलन करे तो कहा जाय कि आन्दोलन बुरा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर न करे, तो कहें कि जनमत नहीं है, यह मैं समझता हूं कि कोई सही तरीका सरकार के लिए नहीं है। बल्कि अगर सरकार इस तरह की कार्यवाही करेगी, तो जनता तो मजबूर होकर यही समझेगी कि सरकार हमें जान बूझ कर हिंसात्मक उपद्रव करने के लिए और अशोभनीय प्रदर्शन करने के लिए विवश करती है और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें। आज तो हमारे और उनके हाथ में और कुछ नहीं है। हम केवल विचार ही प्रकट कर रहे हैं, और मैं भी केवल अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

मैं इसके अलावा एक बात और साफ कर दूं। जब मैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कहता हूं तो उसमें मैं पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की बात नहीं कहता। मैं तो मानता हूं कि हमारे लिए पूर्वी जिले भी उतने ही महत्व रखते हैं, और उनके हित भी उतने ही हमारे लिए माननीय हैं जितने कि पश्चिमी जिलों के और यहां पूर्वी और पश्चिमी जिलों का सवाल उठाना बिलकुल गलत बात है और मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता के हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो और पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों के हितों के लिए वह न हो बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए हो। मैं एक बात कहूं, मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी पढ़ा हो, उनको भी याद होगा कि जब यह विवाद चल रहा था, विभिन्न धारा सभाओं में, तो मद्रास की धारा सभा में वहां के किसी प्रमुख मिनिस्टर ने, शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने या शायद किसी और ने, किन्तु वह वहां के एक प्रमुख मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था अपने भाषण में, जो कि हिन्दुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट हुआ था, कि आज तो हमने जो भाषावार प्रदेशों के पुनर्गठन की मांग की उसको पूरा करवा लिया और राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रश्न इसके बाद दूसरे लोग दूसरे समय पर उठायेंगे। तो यह काफी

[श्री श्रीकृष्ण दत पालीवाल]

खतरनाक चीज है। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल आ गया। एक कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर कहता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल, दूसरे लोग दूसरे समय पर उठायेंगे। जब उनसे यह सवाल धारा सभा में पूछा गया कि कौन लोग उठायेंगे तो उनकी तरफ से उत्तर दिया गया कि दूसरी पार्टी के लोग यानी विरोधी पार्टी के लोग उठायेंगे और यह नये प्रदेश बनने के बाद उठायेंगे। यानी जो यह आशा की जाती है कि यह नये राज्य बन जाने का प्रश्न शान्ति पूर्वक स्वीकार कर लिया जायगा, उन कांग्रेसी मिनिस्टर के भाषण को सुनने के बाद यह आशा करना व्यर्थ है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जब प्रदेशों का पुनर्गठन हो जायगा, तो लोग अपनी धारा सभाओं में प्रस्ताव पेश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का भी सवाल लिया जाय और अगर उस सवाल को नहीं लिया जाय, तो फिर हमें राष्ट्रीय स्वाधीनता दी जाय।

इस सम्बन्ध में एक खतरनाक बात और हो गयी है। आज कई वक्ताओं ने, मदनमोहन उपाध्याय जी ने तथा शिवनाथ काटजू जी ने भी यह कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और यह इच्छा प्रकट की कि हिन्दी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा कहां है। अपने प्रदेश में और केन्द्र में हिन्दी को राज्य भाषा माना जा रहा है। राष्ट्र भाषा नहीं माना जा रहा है। हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू का तो यह कहना है और यह वक्तव्य उन्होंने कई बार दिया है कि हमारे देश में कम से कम १४ राष्ट्रभाषा हैं। तो यहां की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के नाम से भी अभी तक संविधान में, केन्द्र में और यहां कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है, सिर्फ आफिशियल लैंगुएज माना जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं माना जाता है। हम हिन्दी प्रेमियों की शिकायत है कि अंग्रेजी के सामने हिन्दी को जो महत्व दिया जाना चाहिए वह उसको नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से कैकेयी ने रामचन्द्र जी को १४ वर्ष का बनवास दिलवाया था, उसी प्रकार से लोगों ने हिन्दी को १५ वर्ष का बनवास संविधान में दिलवाया है। १५ वर्ष के बाद वह हिन्दी राज-भाषा के पद को प्राप्त हो सकेगी। इसमें भी सन्देह है आप को यह सब मालूम है कि दूसरे प्रदेशों की ओर से क्या मांग की जा रही है। अब भी ३० वर्ष बीत जायेंगे और यह इसी तरह से लिख दिया जायगा। जब हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि हमारे देश में १४, १५ राष्ट्रभाषाएं हैं। इस राष्ट्रभाषा के आधार पर राष्ट्रीय स्वाधीनता की आवश्यकता होती है। १४, १५ राष्ट्र भाषा हैं तो १४, १५ राष्ट्र भी हैं और उनके लिए स्वतन्त्रता का सिद्धान्त संसार में एक माना हुआ सिद्धान्त है। आगे क्या होगा इस सम्बन्ध में मुझे बहुत आशंका है और मैं इस सम्बन्ध में शंकाशील हूं कि इसके बन जाने के बाद इसका स्थायी हल हो जायगा।

***श्री आर्थर ग्राइस** (नाम-निर्देशित)—मिस्टर स्पीकर, मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं ऐन्ड दि हाउस कैन पास इट विद रिफ्लेक्टेड ग्लोरी . . .

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, यहां की जबान हिन्दी हो गयी है तो आप हिन्दी में बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह हिन्दी में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द उन के भाषण में अंग्रेजी के आ ही जायेंगे।

श्री आर्थर ग्राइस—सर, आई कांग्रेचुलेट यू कि आपने मुझे यह चान्स दिया। इस हाउस को यह बिल रिफ्लेक्टेड ग्लोरी . . .

Mr. Speaker, May I speak in English, because I feel some difficulty in Hindi and I can express myself better in English ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—हां, यदि आप हिन्दी में कठिनाई महसूस करते हैं और इंग्लिश में अधिक अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं।

SRI ARTHUR GRIC : Thank you, Sir,

Mr. Speaker, I rise to support this Bill and give it my whole-hearted support because I think this House can pass it in reflected glory, as it is Pantji who has piloted the whole of this Bill. It gives me great pleasure to be a member of this House since the time when Pantji was its Leader.Pantji has given us, the minorities, really a very wonderful chance of existence, in the safeguards which have been granted not only to my community but to all the minority communities in the respective States. I wish to place on reco rd, Sir, my appreciation which is very very great, not only to Pantji, but to the Government of India and to my State. When I say 'the Government of India', of course, I mean our Prime Minister and particularly Pantji. I would request my Government not only to implement the Articles according to the law, but according to the spirit of the law. When I say the 'spirit Sir, I would like to refer them to the Constitution whereit is provided that there may be a 10 per cent cut; and Government has read the word 'may' as 'will' and every third year they implement a ten per cent cut. I do hope that there will be no legal quibblings later with the implementation of the safeguards to the minorities. And, Sir, regarding the constitution of the States I feel proud in the reflected glory that it was an Anglo-Indian who was one of the members to move for the formation of the greater biling-ual State of Bombay. I do not want to take much time of the House, but I wish to place on record my thanks and also on behalf of the Indian-Christian community and other minorities which is very essential. Thank you, Sir.

*श्री आर्थर ग्राइस—श्रीमन्, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन के लिए उठा हूं। मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं, इस कारण कि मैं समझता हूं कि यह सदन इस विधेयक को शान एवं प्रशंसा के साथ स्वीकार कर सकता है, क्योंकि यह समस्त विधेयक पन्त जी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। मुझे इस सदन के सदस्य होने में अत्यन्त प्रसन्नता है, क्योंकि पन्त जी इसके नेता रह चुके हैं। पन्त जी ने हम लोगों को अर्थात् अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान कर वस्तुतः जीवन का अनूठा अवसर प्रदान किया है। यह सुअवसर उन्होंने मेरी ही जाति वालों को प्रदान नहीं किया है अपितु विभिन्न राज्यों में सभी अल्प संख्यकों को किया है। श्रीमन्, मैं न केवल पन्त जी की, जो एक महान् नेता हैं अपितु भारत सरकार की एवं अपने राज्य की जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। जब मैं 'भारत सरकार' कहता हूं तो मेरा अभिप्राय प्रधान मंत्री और विशेष रूप से पन्त जी से है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अनुच्छेदों पर कानून की दृष्टि से कार्यवाही न करे अपितु कानून की भावना से करे। जब मैं 'कानून की भावना' कहता हूं तो मैं संविधान के सन्दर्भ में कहता हूं कि जिसमें १० प्रतिशत कम करने की बात कही गयी है और सरकार ने 'सकना' (may) के स्थान पर 'गा' (will) पढ़ा है और इस प्रकार वह प्रति तीसरे वर्ष १० प्रतिशत की कमी करती है। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में अल्पमत वाले लोगों के लिए जो संरक्षण हैं उनके सम्पादन में न्याय का उपहास न होगा। श्रीमन्, राज्यों के संविधान के सम्बन्ध में मैं शान और अभिमान के साथ कह सकता हूं कि वह एक एँग्लो-इंडियन सदस्य ही था जिसने वृहद् द्विभाषीय बम्बई राज्य बनाये जाने का प्रस्ताव किया था। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता किन्तु मैं अपनी ओर से, इंडियन क्रिश्चियन जाति की तथा

*अंग्रेजी से अनूदित।

[श्री आर्थर ग्राइस]

अन्य अल्पमत वाली जातियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो कि अत्यन्त आवश्यक है। धन्यवाद, श्रीमन्।]

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे लिये आज यह बड़े सन्तोष की बात है कि जो निर्णय राज्य पुनस्संगठन के बारे में इस प्रदेश ने और इस सदन ने किया है वह बहुत ही सही और अनुकरणीय साबित हुआ और जो विभाजक प्रवृत्तियां देश में चलीं और जिनके कारण इतनी खूनखराबी हुई उनसे हम सर्वथा मुक्त रहे और जो हमारी स्टेट ने उदाहरण प्रस्तुत किया उसी तरफ दूसरों का भी ध्यान गया। हमारे यहां पर जो प्रयास हुआ कि इस प्रान्त का भी विभाजन कर दें और जिसके विरोध में हमने इसकी एकता को अक्षुण्ण रखने का निर्णय किया उसके अनुकरण के लिये अन्त में चारों तरफ से प्रयास हुआ, वह कहां तक सफल हुय, यह दूसरी बात है, लेकिन बंगाल और बिहार के मिलाने की बात शुरू हुई और उधर दक्षिण में भी एक बड़ी स्टेट के निर्माण की बात हुई और अन्त में बम्बई का तो उस तरह से निर्माण भी हुआ। इसलिये हमारे लिये यह गौरव की बात है कि हमने एक मार्ग प्रदर्शन भी इस तरह से किया।

जो कुछ भी इस देश में राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में हुआ है उससे हमें सबक लेना है। क्योंकि आयन्दा भी ऐसे निर्णय लेने होंगे। मैं समझता हूं कि शायद यह भी कहा जाय कि It is being wise after the event लेकिन यह उचित हो यदि हम इन प्रश्नों में हाई पावर कमीशन के फैसले पर कायम रहें और वही मान्य होना चाहिये जब तक कि आपसी समझौते से कोई परिवर्तन स्वीकार न कर लिया जाय। अगर ऐसा होता तो यह सम्भवतः देश में इतनी खूनखराबी न होती और अगर होती भी तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारी उसमें बहुत कम होती। वह एक हाईकोर्ट के फैसले की तरह से या एक एवार्ड जैसी चीज होनी चाहिये जिसे सब मान्यता दें। हमें थोड़ी सी यह निराशा जरूर है कि हमारे प्रान्त की खनिज पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो सदन में सुझाव दिये, उसकी पूर्ति नहीं हुई। अगर वह हो जाती तो हमारे औद्योगिक विकास में वह बहुत सहायक होती, लेकिन जो कुछ निर्णय पार्लियामेंन्ट ने किया है वह हमको सर्वथा मान्य है और हम यह प्रार्थना करते हैं कि औरों को भी वह इसी प्रकार मान्य हो और जसी मुख्य मंत्री जी ने कामना की है, हम भी चाहते हैं कि शान्तिपूर्वक सब प्रान्त बन जायें। यह बात जरूर है कि कहीं-कहीं रीजनल कमेटीज बनाना लाजिमी हुआ। यद्यपि हमारा अधिक जोर तो Zonal Councils पर ही था और वे बन भी रही हैं। मैं समझता हूं कि ये रीजनल कमेटी थोड़े दिन रहेंगी और अन्त में Zonal Councils द्वारा आज जितने राज्य हैं उनसे उनकी संख्या और भी कम हो जायगी।

और कुछ बातें भी इस संशोधन में काफी महत्व की हैं। हमारे यहां जो भाषा की सुविधा माइनारटीज को दी गई हैं, जो लिंग्विस्टिक सेफ़गार्ड्स दिये गये हैं, वे काफी महत्व के हैं। एक या दूसरी भाषा को रीजनल भाषा बनाने का आन्दोलन जो समय-समय पर यहां खड़ा हो जाता था मैं समझता हूं कि अब जो प्रबन्ध कर दिया गया है शान्त हो जाना चाहिये। मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा इस संशोधन के जरिये प्रदान की जा रही है।

एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह है जो कि आर्टिकिल २९८ में किया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को कमर्शल और इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स ऐसे क्षेत्र में लगाने का अधिकार दिया गया जो कि केन्द्र के सब्जेक्ट्स थे। उससे भी हम अपना औद्योगिक विकास कर सकते हैं और खास कर जो पब्लिक सेक्टर में कठिनाइयां होती थीं, वे दूर हो जावेंगी, जिस क्षेत्र में सरकार अपना कोई उद्योग कायम करना चाहेगी वह सविधा-

पूर्वक कर सकेगी। मैं समझता हूं कि इस सुविधा से अब हमें केन्द्र की स्वीकृति के ऊपर आश्रित नहीं रहना होगा कि तभी कोई नया सरकारी कारखाना खोल सकेंगे।

आर्केलाजिकल मान्यूमेन्ट्स के बारे में जो संशोधन हुआ है वह भी काफी महत्व-पूर्ण है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार जिन मान्यूमेन्ट्स को अपने हाथ में नहीं लेती थी या उनका काफी महत्व नहीं समझती थी लेकिन हम लोग समझते थे, तो उनकी रक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा क्योंकि स्टेट को अधिकार दिया गया है कि वह अपने पुराने और ऐतिहासिक मान्यूमेन्ट्स की रक्षा स्वयं कर सकेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूं कि जो संशोधन इसमें किये गये हैं वे हर तरह से स्वागत करने योग्य हैं और वांछनीय हैं। अतः मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक मेम्बर को हमारे इस देश भारत में एक नया रूप राज्यों को पहनाया जा रहा है। हमारे संविधान में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो इतिहास में अपना एक बड़ा भारी महत्व रखेंगे। मैं समझता हूं लिखित संविधानों में भारत का संविधान ही ऐसा है जिसमें इतना लचीलापन है। हमारे देश में जब-जब आवश्यकता उपस्थित होती है तब-तब उसमें परिवर्तन होते जाते हैं। यह देश की प्रगति और हमारी प्रगति का एक बड़ा भारी प्रमाण और संकेत है। हमारे इस संविधान में, जो राज्यों के निर्माण के सम्बन्ध में बहुत से परिवर्तन हुए हैं उनमें २–४ ऐसे हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

मैं राज्य प्रमुखों के स्थान को समाप्त करने का स्वागत करता हूं। इस प्रकार का जो संशोधन संविधान में किया गया है वह अपनी एक महानता रखता है। इसका तकाजा बहुत दिनों से था। इसी के सिलसिले में २-४ बातें और मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं, यद्यपि वह विवादग्रस्त हैं, फिर भी संभवतः आज नहीं तो किसी दिन उन बातों पर विचार जरूर किया जायगा।

राज्य-प्रमुख के साथ-साथ और भी ऐसे पद हैं जिनको समाप्त कर दिया जाना चाहिये, जिनकी हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में गवर्नर टिटचूलर हैंड हैं। गवर्नर अथवा प्रेसीडेंट के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा तथा सम्मान है, परन्तु मैं जो यहां कह रहा हूं वह केवल स्थान के ही दृष्टिकोण से कह रहा हूं, राजनैतिक दृष्टिकोण से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंगलण्ड के कांस्टीट्यूशन से कापी कर ली गयी हैं लेकिन आज समय के अनुसार उसमें बहुत सी बातें व्यर्थ हो गयी हैं। अमेरिका का प्रेसीडेंट वास्तव में प्रेसीडेंट होता है। वहां के प्रेसीडेंट को पावर होती है लेकिन हमारे देश में जो प्रेसीडेंट हैं वह इंगलैण्ड के राजा की भांति टिटचूलर हैंड होता है। इसलिये संविधान में ऐसा महान् परिवर्तन करने के समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये था। या तो इनको होना ही नहीं चाहिये था अथवा प्रेसीडेंट और गवर्नर को यथार्थ में प्रेसीडेंट और गवर्नर बनाना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं, इन कठिनाइयों में संभवतः जल्दी में यह बात रह गयी हो अथवा दूसरे देशों की कापी करने में इन बातों को ग्रहण कर लिया गया हो लेकिन आज इतने समय बाद हमें इन महत्वपूर्ण बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां गवर्नर और प्रेसीडेंट केवल टिट्यूलर हैंड हैं और उनको स्वतः कोई पावर नहीं है। आज इस जनतंत्र के युग में देश की चेतना इतनी जागृति हो गयी है कि ऐसे टिट्यूलर हैंड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथसिंह]

हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव कौंसिल हैं। कौंसिल आफ स्टेट्स की बात तो दूसरी है, उसका तो महत्व इसलिये है कि वहां प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन प्रदेशों के अपर हाउसेज के संबंध में मेरी राय यह है कि वह व्यर्थ हैं, अकारण हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय भी बहुत से लोगों की राय यही थी कि अपर हाउसेज की आवश्यकता नहीं है। उस समय किन्हीं कारणोंवश अपर हाउस का रहना स्वीकार कर लिया गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे मस्तिष्क में एक आघात है और उस समय कुछ लोगों ने इस प्रकार का विचार प्रकट किया है कि बाद में चल कर इस बात को सोचेंगे कि अपर हाउस को एबालिश कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण परिवर्तन में इसको सोचना चाहिये था लेकिन मेरा विश्वास है कि आज नहीं सोचा गया। तो जैसा मैंने कहा था कि इस लिखित विधान में लचीलेपन की बड़ी गुंजायश है, इसकी तरफ भी इसमें संकेत किया गया है कि आगे चल कर उस पर विचार होना चाहिये।

जहां तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात है उस सम्बन्ध में कुछ रायें व्यक्त की गयी हैं। उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे राज्य का जो निर्माण हुआ है उन राज्यों के निर्माण को भी स्थायी नहीं कहा गया है। न तो हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है और न पार्लियामेंट में ही कहा गया है कि यह स्थायी है और हमेशा के लिये है। वास्तव में उसमें तो लिखा है कि हम अपने देश को उत्थान के मार्ग पर ले जाने के लिये एक खोज में लगे हुए हैं और उस खोज में जैसे-जैसे हम प्रगति करते जाते हैं, जैसे-जैसे वास्तविकता को पाते जाते हैं वैसे-वैसे उसे स्वीकार करते जाते हैं। लेकिन आज के युग में, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात, भाषावार प्रदेशों के निर्माण की बात बिलकुल दकियानूसी बात है। आज तो इन्टिग्रेशन की बात है। आज देश को भाषा की सीमा में आबद्ध नहीं रहना चाहिये, आज देश को जागृति की सीमा में आबद्ध नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिये जागृति का या भौगोलिक सीमा का प्रतिबन्ध होना ठीक नहीं होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से कि हमारे देश को भाषा के प्रश्न को छोड़ देना चाहिये। यहां तो हजारों तरह के कल्चर हैं, अगर सांस्कृतिक एकता की बात ली जाय तो भाषाओं के अन्तर से कुछ अन्तर नहीं प्रतीत होता है।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां तक भाषा का प्रश्न है हमारे भारत की ही नहीं बल्कि संसार की भाषायें कुछ दिनों में बदलती रहती हैं और थोड़े-थोड़े वायु मंडल और वातावरण में भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसलिये आज अगर भाषा की सीमा में प्रदेशों को बांध दिया जाय तो सम्भवत: काफी कठिनाई पड़ेगी। आज जिस तरह से हमारे देश में राज्यों का निर्माण हुआ और उसके लिये जिस तरह के लड़ाई झगड़े हुए हैं उससे सभी परिचित हैं। लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि यह कोई स्थायी हल नहीं है। बाम्बे के सम्बन्ध में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उस सम्बन्ध में बार-बार यह बात कही गयी है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

हाईकोर्ट के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। जैसा कि श्री शिवनाथ काटजू जी ने बहुत विवरण के साथ निवेदन किया, मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में दो बातें हमारे देश में बहुत दिनों से कही जा रही हैं। एक तो यह कि हाईकोर्ट का खर्चा इस कदर ज्यादा है कि कामन मैन के ऐप्रोच के बाहर है, दूसरे हाईकोर्ट में जजेज की संख्या इस कदर कम है कि कई वर्षों की अपीलों के फैसले नहीं हो पाते हैं। आदमी मर जाता है, जायदाद की हबिश मिट जाती है, उसके अधिकार की तमाम बातें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन मुकदमें का फैसला नहीं हो पाता है। तो आज हमें इस बात का निर्णय करना था कि कांस्टीट्यूशन में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाय,

लेकिन इस परिवर्तन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। खर्चा इस कदर ज्यादा है जो कामन मैन के ऐप्रोच के बाहर है और मुकदमे के फैसले के लिये और उनके निर्णय करने के लिये कोई भी गुंजायश नहीं रह गई है। न तो जजेज की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है और न साधारण स्तर से लेकर ऊंची चोटी तक के आदमियों की पहुंच के भीतर उसे कर देने की कोशिश की गयी है। यह बात भी बार-बार कही जाती है कि कोई अच्छे वकील जजी में इसलिये नहीं आना चाहते कि उनको तनख्वाह कम मिलती है तथा फिर उनको वकालत करने की गुंजायश नहीं रहती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमें सुदूर भविष्य की बात को भी ध्यान में रखना चाहिये जिससे इस तरह की दिक्कत न हो।

फिर क्यों न हम विधान में ऐसा परिवर्तन करें कि जिस से यह दोनों बातें सुलभ हो सकें और हाईकोर्ट का निर्माण इस प्रकार का सम्भव हो कि साधारण जनता को कम खर्चे में न्याय सुलभ हो सके और शीघ्र सुलभ हो सके। इन तमाम बातों के कहने के बाद मैं बहुत जोरदार शब्दों में कहूंगा कि आज की भारत की और संसार की परिस्थितियों में जो कुछ सम्भव हो सकता है उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में जो संशोधन हुआ है, वह सराहनीय है और समर्थन के योग्य है।

*श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तो उस समय मेरे सामने दो एक बातें मजबूरन आती हैं, और वह बहुत दुखदायी बातें हैं। मैं समझता हूं कि यदि वे बातें और वे घटनायें, आज के भारतवर्ष के इतिहास में न हुई होतीं, तो सचमुच में मैं आज बहुत प्रसन्न होता, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वह बातें हुईं। आज जो विधान में संशोधन की पुस्तक हमारे सामने रखी गयी है, हम उस पर गौर करके, कम से कम मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि यह संशोधन विधान में न हुआ होता, और पिछले दिनों में जो उथल-पुथल हुई हैं और जो हलचल हुई हैं, कि जिस ने सारे देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिला दिया, देश में रक्तपात हुए, अनेक उपद्रव हुए, मैं कहता हूं कि अगर यह सब बातें न होतीं, तो भारतवर्ष का कुछ भी अभी बिगड़ने नहीं जा रहा था, और जब हम पुराने वर्षों के इतिहास को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने निर्माण और रचना के बहुत से दिन और महीने विधान के संशोधन में बरबाद कर दिये।

यह भाषा के आधार पर निर्माण का प्रश्न इस मुल्क में आंध्र से शुरू हुआ। उस समय तक हमारा आन्दोलन यह था, भारतवर्ष का आन्दोलन यह था और हमारी सरकार का आन्दोलन यह था कि चूंकि हमने अभी नयी-नयी आजादी प्राप्त की है इसलिए यह सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं है कि जिससे रचना और निर्माण के कार्य में बाधा हो। किन्तु फिर भी आंध्र में आन्दोलन चलाया गया और उपद्रव हुए और अन्त में भारत सरकार ने एक पृथक प्रदेश के रूप में आंध्र को स्वीकार किया, परन्तु भारत सरकार में पूर्ण आस्था रखते हुए, भारत सरकार ने नेताओं के नेतृत्व में पूर्ण आस्था रखते हुए मैं समझता हूं कि उस समय आंध्र का पृथक देश बनाने का निर्णय यदि न किया गया होता, तो भारतवर्ष के भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता। हम यह जानते हैं कि इस के बाद से ही हमारे देश में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, एक पृथकवाद की भावना, एक अलगाव की भावना का कुछ स्टेट्स में तांता सा लग गया और उसी के परिणाम स्वरूप हमें कुछ नये राज्य भी बनाने पड़े, इसी लिए भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं। मैं इन संशोधनों की गहराई में तो जाना नहीं चाहता, वह तो व्यर्थ होगा, लेकिन इस संशोधन ने भारतवर्ष के नक्शे को अधिकांश रूप से तब्दील किया है। भाषा के आधार पर और कहीं-कहीं पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल या प्रशासकीय

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

दृष्टिकोण से तब्दीली की गयी है और कहीं पर भौगोलिक कारणों से। यदि इस समय जब कि हम निर्माण और रचना की ओर निरन्तर प्रगति करते जा रहे थे, जब कि हम एक स्वप्न देख रहे थे, नये समाज को बनाने का, जब कि हमारा आदर्श था, लक्ष्य था समाजवाद ढांचे के आधार पर समाज की रचना करने का, जब कि हम शोषण को, गरीबी को, मुफलिसी को समाप्त कर देना चाहते थे, जब कि हम एक स्वस्थ तथा सुन्दर समाज बनाना चाहते थे, उस समय जब कि हम उस समाज को बनाने में निरन्तर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, यदि यह प्रदेशों के पुनर्निर्माण का प्रश्न सामने न आया होता, तो भारतवर्ष के इतिहास में कौन सी ऐसी घटना हो जाती, जिस से हमारी प्रगति और हमारी रचना का कार्य रुक जाता, मेरे यह बात समझ में नहीं आयी। समाज को इस से एक ही सबक मिलता है, इस बात के बावजूद भी, कि यह सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा और मैं यह चाहता हूं श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना भारतीय सरकार से कि हम जो भी कदम उठायें, बहुत सोच समझ कर उठायें, आज के युग में, जब कि हम एक संक्रांति काल से गुजर रहे हैं, एक क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं, जब कि हम एक निर्माण के युग से गुजर रहे हैं, उस समय जब हम कोई भी निर्णय करें, कोई भी कदम उठायें, जिसका ताल्लुक लाखों और करोड़ों लोगों से हो, जिसका ताल्लुक करोड़ों भारतीय जनता से हो उस समय हमारा कदम बहुत सोच-समझ कर के उठना चाहिए। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देने की प्रवृत्ति है, प्रान्त को प्रान्त से अलग कर देने की प्रवृत्ति है, इन्सान को इन्सान से अलग कर देने की प्रवृत्ति है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रदेशीय सीमाओं के नाम पर, जाति के नाम पर, हमको इस टेंडेंसी का, इस प्रवृत्ति का मुकाबला करना पड़ेगा और हमको मुकाबला करना चाहिए। यदि हम इस प्रवृत्ति का मुकाबला नहीं करते हैं तो यह हमको नहीं मालूम कहां ले जा कर छोड़ेगी।

श्रीमन्, प्रदेशों का बटवारा करते समय किस चीज पर सब से ज्यादा जोर दिया गया, प्रदेशों के पुनर्निर्माण पर यदि सब से ज्यादा किसी चीज पर एम्फेसिस दिया गया तो श्रीमन्, वह भाषा के प्रश्नों पर दिया गया और इसी लिए हम देखते हैं कि जब प्रान्तों के बटवारे का सवाल आया, प्रदेशों के बटवारे का सवाल आया तो सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हलचल पैदा हो गयी, उपद्रव पैदा हो गये, उत्पात पैदा हो गये। इसलिये कि वह जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी, अलग होने की प्रवृत्ति थी उसको एक सामूहिक प्रदर्शन करने का मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया। इसलिये श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया है इस प्रवृत्ति का हमको मुकाबला करना चाहिये चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय जीवन के किसी क्षेत्र में हो। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हमको अगर कोई सबक लेना है, इस राष्ट्र, इस प्रदेश और इस देश को कोई सबक लेना है तो वह एक ही सबक लेना है कि हम जहां तक इस देश के भाग्य के निर्णय का सवाल है, यहां की जनता के भाग्य के निबटारे का सवाल है वहां पर कोई भी कदम हम सोच समझ कर के उठायें। मैं विश्वास करता हूं, श्रीमन्, कि आज जो विवाद चल पड़ा है इस प्रदेश में, इस देश में कई जगह, यह विवाद शान्त हो गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर उस विवाद के भूकम्प जैसे धक्के हमको सुनाई पड़ रहे हैं, दीख रहे हैं।

श्रीमन्, इस संशोधन की दो एक बातों पर और चर्चा करके मैं भाषण समाप्त करूंगा। अभी यहां पर कौंसिल्स और कौंसिल आफ स्टेट्स को समाप्त कर देने की चर्चा की गई। संविधान में जो संशोधन किया गया है उसमें भी इसकी चर्चा है। श्रीमन्, मैं उन आदमियों में से हूं जो समझते हैं कि आज जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष चल रहा है, जिस तरह से हमारा समाज चल रहा है, जिस तरह से आज हमारे समाज का गठन है, जिस तरह से आज हमारा प्रजातन्त्र चल रहा है उसके लिये यह आवश्यक है, श्रीमन्, कि केन्द्र में कौंसिल आफ स्टेट्स रहना चाहिये और हमारे प्रदेशों में कौंसिलें रहनी चाहिये। श्रीमन्, जब मैं यह निवेदन कर रहा हूं उस समय मैं यह जानता हूं कि वे दोनों हाउस, जिनको अपर हाउस कहा जाता है यह प्रगति के एक विरोधक समझे जाते

हैं। यह एक रिएक्शनरी टाइप की चीज समझे जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम एक ट्रांजीशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। हमारा प्रजातन्त्र जिस तरीके से चल रहा है उसके लिए यह आवश्यक है कि ये कायम रहने चाहिए। बल्कि मैं यह सुझाव देना चाहता हूं इसके साथ ही साथ यदि हो सके तो काउंसिल आफ स्टेट्स और प्रादेशिक लेजिस्लेटिव कौंसिल में सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसका कारण यह है कि आज जिस तरह का चुनाव होता है, जिस तरह की हमारी चुनाव पद्धति है, जिन आधारों पर हमारा चुनाव होता है, जिस तूफान के साथ हम चुनाव के मैदान में आते हैं उस चुनाव में बहुत से ऐसे हित हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस चुनाव में आना पसन्द नहीं करते, नहीं आना चाहते हैं। हमारे बहुत से अंग ऐसे हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन के बहुत से ऐसे अंग हैं, हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुत से एसे अंग हैं जिनका प्रतिनिधित्व लेजिस्लेटिव असेम्बली और हाउस आफ पीपुल में नहीं हो पाता। उनका प्रतिनिधित्व यदि होना आवश्यक है, यदि हम इस देश के प्रत्येक अंग को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो हम यह जरूर चाहेंगे कि कुछ वर्षों तक ये दोनों हाउस रहें और उनके सदस्यों की संख्या और बढ़ायी जाय।

जहां तक हारने का सवाल है मैं इस सिद्धान्त से सहमत हूं, श्री मदन मोहन उपाध्याय से, कि उन सदस्यों को जो कि पराजित हो गये हैं उनको अपर हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनके सिद्धान्त से मैं सहमत हूं और मैं उनको बतला दूं कि इस सिद्धान्त को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है और एक आध अपवाद को छोड़ कर वह कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकते हैं कि जब पराजित कैंडीडेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल आफ स्टेट्स में सदस्य मनोनीत किया गया हो। लेकिन अपवाद हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से अपवाद होना चाहिए। कोई ठोस स्थिति नहीं है, लकड़ी के तौर पर हम राजनीति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। उसमें लोच लानी पड़ेगी। यदि हम यह महसूस करते हैं कि कोई अपवाद करना चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र का अथवा कुछ तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो यह हो सकता है कि हमें उस व्यक्ति को पराजित होने के बावजूद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल आफ स्टेट्स में लाना आवश्यक पड़ जाय। लेकिन मैं उनका सिद्धान्त स्वीकार करता हूं।

श्रीमन्, मैं एक बात हाई कोर्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं, और वह मैं जरूरी समझता हूं कि आज जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था चल रही है इस प्रदेश में, देश की मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह की न्याय व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है उसके प्रति आज इस प्रदेश में तीव्र असन्तोष, घोर असन्तोष है। उसका कारण यह है मुख्यत: कि जो आज रिऐलिटी है, जो आज हमारे यहां की परिस्थिति है, जो हमारा राजनीतिक जीवन है, जिस प्रकार का हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन है, हमारी न्याय व्यवस्था उन तथ्यों से बहुत दूर है। हम उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यदक्षता का पूरा सम्मान करते हुए, पूर्ण आस्था रखते हुए, श्रीमन्, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि आज की न्याय व्यवस्था हमारी उन परिस्थितियों को रेस्पांड नहीं करती, रिऐक्ट नहीं करती है। इसलिए उसका परिणाम यह होता जा रहा है कि हम को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय जल्दी नहीं मिलता है, सस्ता नहीं मिलता है। इसलिए श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार से कि विधान में तुरन्त ही इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए, परन्तु न हो सके तो जिस समय अवसर आये उस समय संशोधन होना चाहिये कि हमको सस्ता न्याय मिल सके और दूसरी बात शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिल सके।

श्रीमन्, एडीशनल जजेज की बात कही गयी।

ऐडीशनल जजेज को नियुक्त करने की जो चर्चा है उसकी मुझे प्रसन्नता है, ऐड हाक जजेज की मुझे प्रसन्नता है, यह रखे जायंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पिछले ५, १०

[श्री कृष्णचन्द शर्मा]
वर्षों का जो अनुभव है हमारा कि हाई कोर्ट जजेज की जितनी संख्या है वे पूरे काम का निपटारा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि टेम्पोरेरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये इस व्यवस्था को स्थायित्व मिलना चाहिये। श्रीमन्, एक खतरा मुझको है यदि इस तरह के ऐड हाक जजेज, ऐडीशनल जजेज बनाये जायंगे और रिटायर होने के बाद भी उनका कार्यकाल बढ़ाया जायगा तो श्रीमन्, मुझे शंका है कि शायद हम निष्पक्ष न्याय न कर सकें . . . .

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। बाद में आप निवेदन कर सकते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस संविधान में संशोधन के रूप में यह आना चाहिये था जिससे कि हमारे यहां न्याय जल्द से जल्द हमको मिल सके और न्याय निष्पक्ष मिल सके और न्याय सस्ता मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की इच्छा है कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय?

(श्री सीताराम जी से) क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री सीताराम शुक्ल—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, प्रस्ताव यह है कि संविधान का सातवां संशोधन विधेयक एक संकल्प द्वारा स्वीकृत किया जाय। मेरा यह विचार है कि प्राथमिक दृष्टि से तो यह प्रस्ताव अत्यन्त सरल मालूम होता है लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे जितनी उलझने वाली और उलझी हुई गुत्थियां है उनको देखते हुए मैं तो यह नहीं मानता कि स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी भी व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव की भूमिका से पूर्णतया सहमत हैं। वैसे तो संविधान संशोधन विधेयक जो आज तक प्रस्तुत हुए हैं उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक चित्र को एक नया स्वरूप प्रदान करता है, मान-चित्र प्रदान करता है। इस मान-चित्र के नये गठन के सिद्धान्तों को जब हम देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि आज राजनैतिक दलों की परिधि को काटते हुए दो प्रकार की विचारधारायें चल रही हैं। प्रथम विचारधारा उन व्यक्तियों की है जिनका विश्वास है कि भारत को भाषावार प्रान्तों में बांटना चाहिये। दूसरी उन व्यक्तियों की विचारधारा है जो यह चाहते हैं कि भाषावार प्रान्तों का निर्माण न हो कर सर्वभाषी प्रान्तों का निर्माण होना चाहिये। इस प्रकार की विचार धारायें दलों की परिधि को काटते हुए देश में इस समय चल रही हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण में दक्षिण प्रदेश की वार्त्ता हो रही है। दो वर्ग हैं— कुछ चाहते हैं कि बने और कुछ चाहते हैं कि नहीं बने। बंगाल, बिहार के मर्जर का प्रस्ताव था। उसको भी हमने देखा किस प्रकार वह प्रस्ताव वापस हुआ। बम्बई के सम्बन्ध में जो विचारधारायें हैं, पंजाब, उड़ीसा और इसी प्रकार के दो, एक अन्य प्रदेशों के बारे में अभी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि यह जो परिवर्त्तन आज हम कर रहे हैं इसको भविष्य में भी शान्तिपूर्ण तरीकों से बदला जा सकता है। इसलिये इस भौगोलिक मानचित्र को भी मैं सम्पूर्ण मानचित्र नहीं मानता हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह की आवश्यकता भी पड़ सकती है निकट भविष्य में ही, ५ या १० साल के अन्दर, यह सम्भव है कि इस मानचित्र को थोड़ा और परिवर्तित करना पड़े तो इसलिये जहां तक इस दृष्टि-

कोण के अनुसमर्थन का प्रश्न है हम इस समय की परिस्थिति को देखते हुए इसका अनुसमर्थन कर सकते हैं। लेकिन यह अनुसमर्थन पूर्णकालिक होगा अथवा अल्पकालिक यह तो भविष्य ही बतलायेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है एक बात स्पष्ट है और वह यह कि इस विधान सभा ने एक बार जो विन्ध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने साथ सम्मिलित करने के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन विधेयक जब यहां आया था उस समय निश्चय किया था उसका कोई उल्लेख इस संविधान में और संविधान में जो प्रस्तुत स्टेट रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट की धारा है उसमें हम नहीं पाते हैं। मैं अवश्य चाहता था कि राज्य की विधान सभा ने और इस राज्य के जनमत ने करीब-करीब सर्वसम्मति से जो निवेदन किया था उसके न माने जाने का क्या कारण है? यह अवश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो प्रस्ताव इस विधान सभा ने पास किया है राज्य पुनर्गठन विधेयक के अवसर पर, मैं समझता हूं कि वह बहुत विचार कर के पास किया गया था और कुछ उस सम्बन्ध में परामर्श भी हुआ था। तो कुछ समाचार-पत्रों के द्वारा भी और पार्लियामेंट में जो विवाद हुआ उसमें भी हमको कुछ स्पष्ट नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा की उस मांग को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या थे।

दूसरी बात जो हमें इस विधेयक में दिखलाई देती है वह यह कि खंड २२ के द्वारा स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स की व्यवस्था की गई। यह स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाने की व्यव[illegible] केवल बम्बई राज्य के लिए की गई है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया [illegible] खण्ड २२ की ओर दृष्टिपात करेंगे तो वह देखेंगे कि खंड २२ के द्वितीय उपखंड में लिखा हुआ है कि बम्बई, सौराष्ट्र, गुजरात, या महाराष्ट्र, मरठवाड़ा, या विदर्भ इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहां पर स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स वहां की क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए बनाये जायेंगे। मैं नहीं समझता कि इस बात की आवश्यकता अकेले बम्बई राज्य में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की क्यों? हमारे राज्य में पूर्वी जिलों की, बुन्देलखंड के इलाके की और पर्वतीय क्षेत्रों की एक प्रार्थना रही है कि स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स वहां की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए बनाये जायं। इसी प्रकार बिहार में भी आदिवासियों का एक क्षेत्र है। अन्य राज्यों में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाना आवश्यक हो सकता है। और एक विशेष स्थिति को देखते हुए जबकि अनेक प्रदेशों में अलग-अलग होने की एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जिसे शर्मा जी ने कहा, एक अलगाव की मनोवृत्ति होती जा रही है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए केवल बम्बई के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड की व्यवस्था न हो कर सभी प्रदेशों के लिए होती तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता। यह हमारी मजबूरी है कि हम कोई उस तरह का संशोधन नहीं उपस्थित कर सकते लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी या सरकार कम से कम हमारी इस भावना को वहां पहुंचा दे कि खंड २२ में जो व्यवस्था अकेले बम्बई के लिए है वह किसी हालत में उचित नहीं है। अगर स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड की व्यवस्था ही करनी है तो भारत के सभी प्रदेशों के लिए जहां कहीं इस प्रकार की आवश्यकता समझी जाय, राज्य सरकार समझे, या प्रेसीडेंट, राष्ट्रपति समझें वहां पर इसी प्रकार स्पेशल डेवेलपमेंट बोर्ड बनने चाहिए।

इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इस संशोधन विधेयक में कि जो चार टेरिटोरीज बनायी गयी हैं, चार क्षेत्र बनाये गये हैं, दिल्ली, मनीपुर, त्रिपुरा और हिमांचल प्रदेश यह जो चार क्षेत्र बनाये गये हैं, उनको प्रजातंत्रीय अधिकार नहीं मिले हैं जो कि अन्य प्रदेशों को मिले हैं। दिल्ली कारपोरेशन जो होगा, या मनीपुर या त्रिपुरा में जो टेरिटोरियल कारपोरेशन बनेगा, उसके सदस्य राज्य सभा में जायेंगे। लोक सभा में उस प्रकार नहीं जा पायेंगे जिस प्रकार कि राज्य सभा में जा पायेंगे। तो स्पष्टतः मैं इस संविधान संशोधन विधेयक के इस अनुच्छेद से सहमत नहीं हूं जिसमें कि इन चार क्षेत्रों के नागरिकों को प्रजातंत्रीय अधिकार उस माने में कम प्राप्त हुए हैं, जिस माने में कि अन्य प्रदेशों को प्राप्त हुए हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रश्न यह भी उठा है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल या जो कौंसिल आफ स्टेट्स हैं इसको समाप्त किया जाय या न किया जाय। इसकी व्यवस्था आर्टिकिल १७१ में की गई थी और उसी सम्बन्ध में कुछ यहां पर विवाद भी हुआ। श्रीमन्, यह तो बड़ा विवाद का विषय है कि हमारे यहां लेजिस्लेटिव कौंसिल या कौंसिल आफ स्टेट्स होनी चाहिए या नहीं। हमें तो यह देखना है कि अगर हम बाईकेमिरल लेजिस्लेचर, द्विदलीय संसद् प्रणाली के सिद्धांत को देखें, तो इंगलैन्ड में, जो हाउस आफ लार्डस् बना उससे निरन्तर हाउस आफ कामन्स को झगड़ना पड़ा और सन् १९११ के पार्लियामेंटरी ऐक्ट के द्वारा हाउस आफ कामन्स एक प्रकार से हाउस आफ लार्डस् की शक्ति को रोक पाया। मुझे तो विश्वास है कि अगर इंग्लैन्ड में लिखे हुए विधान की आवश्यकता होती और इंग्लैन्ड जिसको प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है वह विधान को लिखता तो वह कभी हाउस आफ लार्डस् को स्थान न देता। हाउस आफ लार्डस् के वही सदस्य होते हैं जिनको अन्त में लार्ड का टाइटिल देकर, नाइट का टाइटिल देकर भेज दिया जाता है। जब ऐटली साहब रिटायर होने लगे, तो उनको नाइट का टाइटिल दे दिया गया। तो आज की प्रजातंत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए हमें, इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जिस से इस प्रकार की संस्थाओं या इस प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़े। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ प्रसन्नता सी व्यक्त की कि हमारे यहां से, उत्तर प्रदेश से तीन सदस्य कौंसिल आफ स्टेट्स में बढ़ गये हैं। ठीक है, तीन सदस्य बढ़ गये हैं, लेकिन मैं उससे कोई विशेष अन्तर इस बारे में नहीं समझता। मैं उस आदरणीय सदन के प्रतिनिधित्व खिलाफ या उसकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह बात आवश्यक है। ये पर जो प्रतिनिधि हैं वह उस माने में जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जैसा कि विधान सभा करते हैं। इसका संविधान भी साक्षी स्वयं है। तो जिस प्रकार से बिहार की विधान सभा ने यह पारित किया है कि हमें कौंसिल की आवश्यकता नहीं है, तो हमें भी एक स्पष्ट इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे हम निकट भविष्य में ही अपने को कौंसिल या कौंसिल आफ स्टेट्स से संविधान में संशोधन करके मुक्त कर सकें। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो रीजनल कमेटीज के निर्माण करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है उसके सम्बन्ध में भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर यह अधिकार पार्लियामेंट को होता कि पार्लियामेंट जो रीजनल कमेटीज बनेंगी, उसका विधान, उसका अधिनियम स्वयं बना सकेगी, तो ज्यादा अच्छा होता। संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति जो रीजनल कमेटीज को मान्यता देने के सम्बन्ध में, उनके अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में दी गयी है, वह मुझे किसी तरह उचित नहीं मालूम होती। तो जहां तक संविधान को संशोधन करने का यह हिस्सा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

हाई कोर्ट के जजेज के सम्बन्ध में जो कुछ भी इस संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किया गया है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं और जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा, अगर कुछ अधिक शक्ति हमें मिलती जिससे कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या राज्यों में और अधिक बढ़ जाती---एडीशनल जजेज के रूप में नहीं बल्कि पूर्णकालिक जजों के रूप में---तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे कि उत्तर प्रदेश में २४ या २५ जज रह सकते हैं, अगर यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए हम यह चाहें कि संविधान पर दृष्टिपात करते हुए हम यहां ३० जजेज बनाना चाहें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस लिए मेरा विचार तो यह है कि अब वह समय आ गया है जब कि बढ़ते हुए अधिनियमों की संख्या देखते हुए, रिट पिटीशनों की संख्या बढ़ती हुई देखते हुए हमें अधिक पूर्णकालिक हाई कोर्ट जजेज बनाने पड़ें। तो मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी, संविधान के संशोधन करने के सम्बन्ध में, कोई उचित प्रस्ताव होना चाहिए।

अन्त में मैं एक विशेष तथ्य की ओर सरकार का और सदन का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह संविधान विधेयक विचार करने पर कुछ ऐसा लगता है कि वह आज की हमारे देश की समाजवादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने

मद्रास कान्फ्रेंस के भाषण से और अपने लेखों में इस बात को व्यक्त किया है कि आज का संविधान भारतीय आवश्यकता और भारतीय सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक चेतनाओं को व्यंजना नहीं करता, और विशेष रूप से यह संविधान ऐसे मौके पर बना जब कि समाजवादी ढांचे के सिद्धान्त को देश ने पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया था। इसलिये इस संविधान में अनेकों धारायें समाजवाद के सिद्धान्त और समाजवाद की प्रणाली के विरुद्ध जाती हैं। मैं तो ऐसी मांग करूंगा कि एक ऐसे कमीशन का निर्माण होना चाहिये जिसमें कानूनी सलाहकार हों और इसके साथ ही साथ समाजवाद के पंडित भी हों और संविधान का आमूल विश्लेषण करके इस प्रकार के सुझाव रखें जिससे समाजवाद के समाज निर्माण में जितनी रुकावटें हैं वह सब समाप्त हो जायं। हम ऐसा संविधान बना सकें जिससे इस प्रदेश में जल्द से जल्द समाजवादी सभ्यता, समाजवादी समाज को ला सकें और संविधान कोई रुकावट न करे। यह सारी चीजें इस कमीशन के द्वारा निश्चित हों और एक ऐसा विधेयक स्वीकार करें जिससे संविधान का बुनियादी स्वरूप ही बदल जाय। इस इक्का-दुक्का संशोधन से समस्या का हल नहीं हो सकता है और अभी तक यही प्रवृत्ति रही है। लेकिन आवश्यकता इसको सम्पूर्ण रूप से ढालने की रही है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन इससे सहमत होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माननीय पालीवाल जी के भाषण को सुनकर बहुत कुछ आश्चर्य और दुख हुआ। यों तो मैंने सदन से प्रार्थना की थी कि नये राज्यों के बनाने की जो व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की जा रही है, उसके सम्बन्ध में हम अपनी राय यदि न दें तो अच्छा हो, क्योंकि यों ही वातावरण काफी दूषित हो चुका है और हम उन जगहों से इतनी दूर रहते हैं कि हमारा कुछ कहना आग में घी डालने के समान हो सकता है। मेरी इस प्रार्थना को मानना या न मानना माननीय सदस्यों के अधिकार की बात थी। माननीय पालीवाल जी ने थोड़ी सी राय इस सम्बन्ध में दी, ठीक ही होगा उनका ऐसा करना। लेकिन मुझे ज्यादा शिकायत इसी बात की है कि इतना ही नहीं कि उन्होंने नये राज्यों का जिक्र किया बल्कि थोड़ा सा जिक्र उत्तर प्रदेश के संबंध में भी किया और मेरे ख्याल से जो बातें उन्होंने कहीं, वह अवांछनीय हैं और हकीकत से बहुत दूर ही नहीं। जिस समय राज्य पुनस्संगठन का सवाल उठा था तो हम लोगों में से कुछ ऐसे थे कि जिनका ख्याल था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाय और साथ ही अब भी कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है। यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर ईमानदारी से, सच्चाई से दो रायें हो सकती हैं और उनका हमें आदर करना चाहिये। हमने जब इस प्रश्न पर विचार किया तो कभी भी कटुता नहीं आने दी। चाहे पूर्व पश्चिम का सवाल हो किसी भी दृष्टि से कटुता नहीं आने दी। इसका श्रेय सभी माननीय सदस्यों को और उन लोगों को जो सदस्य नहीं हैं लेकिन इसमें दिलचस्पी लेते थे, हैं। लेकिन अपनी-अपनी राय रखते हुये और एक दूसरे की राय की कद्र करते हुये हमने सोचा कि इस प्रदेश के हित में और इस देश के हित में यही अच्छा है कि इस सवाल को आगे न बढ़ाया जाय और वह चीज वहीं खत्म हो गई और जैसा कि मैंने कहा कि अब भी यह चीज हो सकती है और हमें एक दूसरे की राय का निश्चय ही आदर करना चाहिये। एक खूबसूरती से हमने इस मसले को हल किया। लेकिन पालीवाल जी की बात को यदि मैं ठीक समझा तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनमें अब भी एक तरह की आग भड़क रही है। इन लोगों का यह ख्याल है कि उनकी बात इसलिये नहीं सुनी जाती क्योंकि वे एक वायलेंट एजिटेशन उस तरह से नहीं करते जैसा कि देश के किन्हीं और हिस्सों में हुआ है। मेरा ख्याल है कि यह उनका ख्याल बिल्कुल गलत है। अपनी-अपनी राय इस सम्बन्ध में होगी लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां इतना असन्तोष हो, जो कि उत्तर प्रदेश के

[डाक्टर सम्पूर्णा नन्द]

दूसरे हिस्सों से बड़े जोरों से होना चाहता हो और जिसका यह ख्याल हो कि वायलेंट एजिटेशन अगर उसने किया होता तो उसकी बात की सुनवाई होती। मैं समझता हूं कि इन बातों की चर्चा न करना ही अच्छा है। एक बुझी हुई आग को भभका देना किसी दृष्टि में अच्छा नहीं है। अस्तु जहां तक और माननीय सदस्यों के भाषण की बात है, अधिकांश लोगों ने इस संकल्प का और इस संकल्प के द्वारा जिन संशोधनों की चर्चा हुई है उनका समर्थन ही किया है और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। फिर भी जिन बातों का यहां उल्लेख किया गया है उनमें से ३, ४ का मैं थोड़े में जिक्र करूंगा।

कुछ बातें बहुत सैद्धान्तिक हैं। सैद्धान्तिक बातों में भी इतने व्यापक सिद्धान्त कुछ हैं जिनका असर बहुत दूर तक जाता है। जैसे कि अभी जो अन्तिम भाषण माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का हुआ उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कोई ऐसा कमीशन बैठाना चाहिये जो कि हमारे कांस्टीट्यूशन में आमूल परिवर्तन की बातों पर विचार करे कि जो इस वक्त परिस्थिति हमारे देश में है, जिस किस्म का एक समाजवादी ढांचा हमने स्वीकार किया है उसके अनुरूप वह है या नहीं। यह एक बहुत ही मौलिक सवाल है और मैं तो ऐसा समझता हूं कि विचार करने लायक सवाल है, उन लोगों के जो कि ऐसे कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं। मेरी शिकायत, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया और जिसको कई बार हमने व्यक्त किया, यह है कि हमारा संविधान जरूरत से ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा लिखित संविधान शायद किसी देश का नहीं है। इस बात की कोशिश की गयी कि जितनी बातें हो सकती हैं उन सबका इसमें समावेश हो जाय और इसी वजह से बार-बार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब जो है वह है। लेकिन जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा अगर इस पर विचार हो सके तो अच्छा ही होगा।

व्यावहारिक बातों में हाई कोर्ट के बारे में कई बातें कही गयीं। जहां तक मैं समझता हूं यह तो सभी लोग मानते हैं कि आज कई कारणों से हमारे यहां मुकदमों के फैसले देर में होते हैं। कुछ तो प्रक्रिया की बात है। खर्चे की जहां तक बात है उसका तो संविधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए संविधान में उसका जिक्र नहीं आया। यह उचित ही है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रम हुआ सा मालूम होता है और उनका ऐसा ख्याल है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न पर विचार हुआ और ये जो हमारे कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन हुए हैं उनमें इसकी गुंजाइश रखी गयी है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस बिल के ११वें सेक्शन को देखें। उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रेसीडेंट को यह अधिकार है कि एक तो वे यह देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने जज होने चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि जब काम कहीं बढ़ जाय तो उस के लिए थोड़े दिनों के लिए एडिशनल जजेज नियुक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रदेश की बात है माननीय काटजू जी ने बिलकुल ठीक ही कहा कि हमारे यहां मुकदमे बहुत बढ़ गये हैं, जज बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी इतना काम बढ़ गया है कि जो जजेज की संख्या है, उसको देखते हुए उतने काम का पूरा होना मुश्किल है। तो ऐसी हालत में जो ज्यादा जजेज की व्यवस्था की गयी है उससे सुविधा होगी। लेकिन साथ ही इसमें जो प्रेसीडेंट को इस बात के अधिकार दिये गये हैं तय करने के कि किसी प्रदेश में कितने जजेज हों, प्रादेशिक सरकारों से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातें करके कि किसी प्रदेश में जजेज की संख्या यदि कम है तो वह बढ़ायी जा सके, इससे हम यह आशा करते हैं कि हमारी जो दिक्कतें इस सम्बन्ध में हैं, उनमें बहुत कुछ सुधार हो जायगा।

उसके साथ ही साथ, अभी माननीय नारायण दत्त जी ने बम्बई के स्पेशल डेवेलपमेंट बोर्ड का जिक्र किया कि वहां इसकी व्यवस्था खास तौर से क्यों की गयी। उन्होंने यह भी कहा कि

हमने अपने यहां कई बार सवाल उठाया था कि विन्ध्यप्रदेश का कोई हिस्सा इस प्रदेश से मिला दिया जाय। जहां तक स्पेशल डेवेलपमेंट बोर्ड की बात है, बम्बई का जो नया प्रदेश बनने जा रहा है जिस परिस्थिति में बनने जा रहा है उसको ख्याल करें। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से आया है, कुछ हिस्सा बम्बई से आया है और कुछ हिस्सा सौराष्ट्र से आया है। उन प्रदेशों में सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान बन चुका था। सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान की मंजूरियां हो चुकी थीं, प्लानिंग कमीशन से। तो इन सब को जब मिल कर एक प्रदेश बना रहे हैं तो उसकी परिस्थिति और प्रदेशों के मुकाबिले में भिन्न है। जरूर इस तरह से मध्य प्रदेश भी बन रहा है, लेकिन चूंकि उसमें सब प्रदेश पूरे के पूरे मिलाये गये हैं, लेकिन यहां मध्य प्रदेश के दो टुकड़े हो गये हैं, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में रहेगा, और कुछ नये बम्बई प्रदेश में जा रहा है, तो उस प्रदेश की व्यवस्था में और किसी भी प्रदेश की व्यवस्था में बहुत अन्तर है। और इसी लिए जरूरी मालूम होता है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए बम्बई के लिए किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाय खास तौर से ऐसी स्थिति में जब कि मतभेद रहा हो, बहुत सा ससपिशन और सन्देह रहा हो, ऐसी हालत में और भी जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिस से किसी भी हिस्से को ऐसी आशंका न हो कि हमारे साथ पूरी तौर से न्याय नहीं हो रहा है।

जहां तक विन्ध्य प्रदेश वाली बात है उसके लिए माननीय नारायणदत्त जी को जितना अफसोस है उतना ही मुझको भी है। लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है। यह तो हम अपनी शान के खिलाफ भी समझते हैं कि हमारे यहां बारबार उसी की चर्चा हो। हम जैसे हैं अच्छे हैं और कोई हिस्सा आता तो हम उसकी सेवा करते, उसका कल्याण करते। नहीं आया तो न सही। एक बात हो सकती है। अभी शायद कोई ऐसा कमीशन बैठने वाला हो जो कि प्रदेशों की सीमायें निश्चित करे। सम्भव है उस वक्त हम को किसी की सेवा करने का मौका मिल जाय। मिल जायगा तो अच्छा है, नहीं तो न सही। इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है।

माननीय उपाध्याय जी ने तीन-चार बातों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने एलेक्शन की चर्चा की। मैं समझता हूं कि उनका जो ख्याल है उस से सभी लोग सहमत होंगे। हम सभी चाहते हैं कि जब एलेक्शन्स की चर्चा हो उठी है, तो वह जितनी जल्दी हो जाय उतना ही अच्छा है। साथ इसके कई किस्म की दिक्कतें भी हैं, जिस की तरफ उन्होंने इशारा किया। जिस किसी को इसका निर्णय करना हो, जिसको इसके करने का अधिकार हो, गवर्नमेंट आफ इन्डिया हो, पार्लियामेंट हो, एलेक्शन कमीशन हो, जो कोई भी हो, हम चाहते हैं कि उनको इस प्रश्न पर जल्दी से फैसला करना चाहिए। वह प्रश्न इतना ही नहीं है कि जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि सरकार के पास रुपया है और वह रुपया खर्च कर देगी। सरकार का अपना तो कोई रुपया नहीं है, जनता का पैसा है। एक बार रुपया खर्च किया जाय और फिर काम रुक जाय, और कुछ दिनों के बाद फिर रुपया खर्च किया जाय तो रुपया तो वेस्ट होता ही है सारी शक्ति भी नष्ट हो जाती है और जो तैयारी भी की जाती है, वह भी नष्ट होती है।

इसके अलावा, जो उन्होंने कहा कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज हैं। कुछ पोलिटिकल पार्टीज ही नहीं, सभी पोलिटिकल पार्टीज और जो सब से बड़ी पोलिटिकल पार्टी है संख्या की दृष्टि से, शायद रुपये की दृष्टि से भी सम्भव है, कांग्रेस, उसको भी बड़ी दिक्कत होगी, एक बार तैयारी की है और वह तैयारी आगे जाकर रुक जाती है। जो लोग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं उन सब को तकलीफ होती है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि इस प्रश्न का निपटारा हो जाय, होना है, तो चुनाव हो जाय, मनोवृत्ति जो बनी है, जो काम की शैली बनी है उसमें बाधा पड़ने से दिक्कत होती है। हमने असेम्बली के सेशन आदि को भी ऐसा ही समझ कर बना रखा है। ऐसा सोच रखा है कि शायद चुनाव होंगे। अगर तय हो जाय कि नहीं होना है, तो अवश्य ही

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हम सब की कार्यशैली दूसरे प्रकार की हो, यही मैं आशा करता हूं। हम लिखते पढ़ते भी रहे हैं, इस मामले में और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का फैसला जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है।

सवाल उठा कि अपर हाउसेज होना चाहिए या नहीं? यह एक लम्बा चौड़ा सवाल है और इसके ऊपर एक बार नहीं अनेक बार, अनेक जगहों पर विचार हो चुका है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय हम को यहां पर लगाने की ज रूरत नहीं है। यह कांस्टीट्यूशन तो इस बात को मान कर चला है कि अपर हाउस होंगे, लेकिन साथ ही इसके मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १६९ की तरफ दिलाता हूं, उस में है कि —

"Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting."

[अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्पादन के लिये अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य- संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो।]

मसलन उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिये। अगर उत्तर प्रदेश की असेम्बली के सामने कभी यह सवाल लाया जाय कि हमारे यहां कौंसिल हो या न हो, और उस पर वोट लिये जायं तो जितने मेम्बर असेम्बली में हैं, उनकी टोटल मेजारिटी होनी चाहिए। अगर असेम्बली में १०० मेम्बर होते, तो ५१ की राय होना चाहिए और जितने मेम्बर मौजूद हैं उनके २/३ की कम से कम राय हो कि कौंसिल तोड़ देना चाहिए। उसके बाद यह सवाल पार्लियामेंट के सामने जायगा और उसको वह मंजूर करके अगर चाहे तो कौंसिल तोड़ सकती है तो यह चीज कांस्टीट्यूशन में मौजूद है। अगर किसी वक्त किसी प्रदेश में जहां अपर हाउस है वहां के लोग उसको तोड़ना चाहें तो यह उनके हाथ की चीज है। इस प्रश्न पर गंभीरता के साथ अभी विचार नहीं होना चाहिये और किसी वक्त विचार हो सकता है।

अब हमारे जनरल इलेक्शन होने हैं। उनकी जिम्मेदारी हमें अपने हाथ में लेनी चाहिये या नहीं यह तो दूसरी बात है, लेकिन शान्तिपूर्वक हमें इस बात को सोचना चाहिये, और अगर हम ठीक से देखें तो यह हमारे हित की बात है। अगर हम यह तय कर लें तो पार्लियामेंट के सामने सवाल जायगा और मैं समझता हूं कि उस पर पार्लियामेंट को कोई आपत्ति न होगी। रहा कौंसिल आफ स्टेट्स का सवाल। यह एक लम्बा-चौड़ा सवाल है। अपर हाउस चाहे तोड़ दिये जायं लेकिन कौंसिल आफ स्टेट्स रहनी चाहिये यह बात यहां के मेम्बर ही कहते हैं। तो पहले तो हमको यहां के मतभेद को मिटाना होगा। पहले घर में ही एक मत हो लें बाहर की बात फिर देखी जायगी।

एक बात यह भी उठी कि गवर्नर का पद तोड़ देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैन्ड में एक होता है और कहीं नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह सवाल भी ऐसा नहीं है कि जिस पर किसी ने विचार न किया हो, लेकिन मैं कहूंगा कि केवल उन देशों में नहीं कि जहां किंग होता है बल्कि कई और ऐसे प्रगतिशील देश हैं जैसे रूस, चीन आदि उनमें भी एक हेड आफ दि स्टेट होता है। अब चाहे उसके अधिकार कम हों या ज्यादा हों यह बात दूसरी है। इस बात का एक कारण है। पोलिटिकल साइंस की किताबें बतलाती हैं कि डेमोक्रेसी में भी एक आध मौके ऐसे आते हैं कि सब सारे अधिकार सिमट कर एक

विन्दु पर केन्द्रित हो जाते हैं, उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। आज एक असेम्बली है, गवर्नमेंट चल रही है, किन्तु उसके खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव कल आ जाता है, वह पास हो जाता है और जो सरकार है वह अपना पद त्याग करती है। तो जो दूसरी पार्टी है उसको अपना लीडर चुनना होता है और उस के बाद वह अपनी सरकार बनाती है। तो इस बीच के समय में जबकि कोई सरकार नहीं रहती, पहली पद त्याग करती है और दूसरी नहीं बन पाती, उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक न एक मौका ऐसा आता है कि जिस वक्त के लिये किसी न किसी के पास सारे अधिकार होने चाहिये। जनरल एलेक्शन्स होते हैं, पार्लियामेंट, असेम्बली सब खत्म हो जाती हैं, नये लोग जमा होते हैं, उनको लीडर चुनना होता है और उसके बाद उनको सरकार बनाने में कुछ समय लगता है, तो यह पोलिटिकल साइंस की बात है और ऐसे मौके आते हैं, चाहे वह एक दिन के लिये क्यों न हो कि जब सारे अधिकार सिमट कर एक विन्दु पर आ जाते हैं, इस लिये यह जरूरी समझा गया। मैं यह नहीं कहता कि कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, लेकिन काफी सोचने विचारने के बाद यह समझ में आया कि नाम मात्र के लिये ही सही, लेकिन एक मूर्ति को रखना पड़ता है किसी न किसी समय के लिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समय समाप्त हो रहा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे कुछ ज्यादा कहना भी नहीं है। एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूं। माननीय उपाध्याय जी ने जिक्र किया था पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के संबंध में। मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल सही है और यह सवाल ऐसा है कि जो कांस्टीट्यूशन का तो नहीं है लेकिन लिखने पढ़ने का जरूर है और काफी महत्व का सवाल है। तो इस पर हम सोचेंगे।

तो मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि सदन मेरे इस संकल्प को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन भारत संविधान में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन (सेविन्थ एमेन्डमेंट) बिल, १९५६ द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
८ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

श्री नागेश्वर द्विवेदी जी के प्रश्न सं० १ में वर्णित आंकड़ों की सूची

क्रम संख्या	कर-दाता का नाम	१३६२ फसली की मालगुजारी		
		रु०	आ०	पा०
१	श्री श्रीपति सिंह	११९	११	०
२	,, महेश नारायण	१६३	७	३
३	,, महेन्द्र बहादुर	३१९	११	६
४	,, नरेन्द्र बहादुर	३१९	११	६
५	,, सूर्य कुमार	२१७	११	६
६	,, राजा चन्द्रभाल देव	१२०	१०	९
७	,, सीताराम	११५	६	०
८	,, शिवसम्पत्त मिश्र	६७	२	०
९	,, इन्द्र बहादुर	१०६	८	९
१०	,, प्रताप बहादुर	१०६	८	९
११	,, अनुरुद्ध प्रसाद	२७८	१४	०
	कुल योग ..	१,९३५	७	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

सूची संख्या १

राज्य के पूर्वी जिलों में १ जून, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५६ तक हुई वर्षा

	जिलों के नाम	इस वर्ष १ जून से ३१ अगस्त तक हुई वर्षा	गत वर्ष की वर्षा से अनुपाततः अन्तर अधिक–कम
१	इलाहाबाद	३०.२३	१०.८४
२	वाराणसी	१६.७४	२१.६३
३	मिर्जापुर	३४.३८	०.६४
४	जौनपुर	२४.६२	२३.३६
५	गाजीपुर	२७.२६	५.२५
६	बलिया	१९.८८	१०.१४
७	गोरखपुर	३८.८४	१२.६१
८	बस्ती	३०.९९	३३.७४
९	आजमगढ़	३२.२४	१८.६६
१०	देवरिया	३४.१६	८.५२
११	फैजाबाद	२८.१३	३४.७६
१२	गोंडा	२४.८६	४१.८०
१३	बहराइच	२३.५२	२३.५७
१४	सुल्तानपुर	१९.००	३८.७४
१५	प्रतापगढ़	२४.८९	२४.६४
१६	बाराबंकी	२३.११	३३.९४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

सूची संख्या २

(प्रश्न संख्या ६ से संबंधित सूची)

उत्तर प्रदेश में १९५६-५७ के वर्ष में १ जून से ३१ अगस्त तक हुई वर्षा-विवरण-पत्र:—

देहरादून	..	६३.९९	बनारस	..	१९.५६
सहारनपुर	..	३९.८७	मिर्जापुर	..	३४.३८४
मुजफ्फरनगर	..	३६.७३	जौनपुर	..	२४.६२
मेरठ	..	१८.५५	गाजीपुर	..	२७.२६
बुलन्दशहर	..	१३.७४५	बलिया	..	१९.८८
अलीगढ़	..	१९.०५	गोरखपुर	..	३८.८४
(२३ अगस्त, १९५६ तक)			बस्ती	..	३०.९९
मथुरा	..	१८.४७	आजमगढ़	..	३२.२४
आगरा	..	१५.१४९	देवरिया	..	३४.१६
मैनपुरी	..	२०.६७	नैनीताल	..	३८.२८
एटा	..	२४.१३	अल्मोड़ा	..	२९.६७
बरेली	..	२७.१३	गढ़वाल	..	३९.५९
बिजनौर	..	३४.२५३	टेहरी-गढ़वाल	..	३४.५७
बदायूं	..	२६.०३	लखनऊ	..	१९.६५४
मुरादाबाद	..	२७.०५	उन्नाव	..	१९.३५
शाहजहांपुर	..	२३.९५	रायबरेली	..	२१.७७
पीलीभीत	..	३२.४१	सीतापुर	..	१९.५५
रामपुर	..	३५.२०	हरदोई	..	२२.६८
फर्रुखाबाद	..	२१.७०४	(२३ अगस्त, १९५६ तक)		
इटावा	..	१९.५३	खेरी	..	२४.५२
कानपुर	..	१९.७९	फैजाबाद	..	२८.१३
फतेहपुर	..	२६.८४	गोंडा	..	२४.८६
इलाहाबाद	..	३०.२३	बहराइच	..	२३.५२
बांदा	..	२१.७५	सुल्तानपुर	..	१९.००
हमीरपुर	..	२०.७६	बाराबंकी	..	२३.११
झांसी	..	३८.५०३	प्रतापगढ़	..	२५.५८
जालौन	..	२३.८१			

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तथा दूधी तहसीलों के गांवों में रिन्डरपेस्ट के प्रकोप का विवरण

तहसील का नाम	परगना का नाम	गांव का नाम	बीमारी के प्रकोप की तिथि	बीमार पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या
राबर्ट्सगंज	अगोरी	कोटा ..	मई, १९५६	२५०	२२५
,,	,,	कजराट ..	१६-५-५६	१००	७३
,,	,,	परसाईं ..	२०-५-५६	२४०	१५०
,,	,,	गईघाट ..	२८-५-५६	४०	३०
,,	,,	मरकुंडी ..	१-६-५६	५०	३०
,,	,,	महवान ..	१-६-५६	१०	४
,,	,,	केवटा ..	९-६-५६	४०	२०
,,	,,	पैका ..	१४-६-५६	१५	१०
,,	,,	चोपन ..	१५-६-५६	८०	७०
,,	,,	कुरहुल ..	२०-६-५६	१०	६
,,	,,	करगारा ..	२०-६-५६	६	२
,,	,,	माहीगांव ..	२०-६-५६	२०	१५
,,	,,	चंचीकलां ..	२१-६-५६	४०	३०
,,	,,	खरनवां ..	२८-६-५६	२०	१६
,,	,,	मितापुर ..	१-७-५६	४	१
,,	,,	शिवपुर ..	३-७-५६	८	७
,,	,,	खेतकटवा ..	४-७-५६	१०	७
,,	,,	देवतान ..	६-७-५६	२५	२०
,,	,,	हर्रा ..	१०-७-५६	१२	८
,,	,,	हर्दी ..	११-७-५६	१०	८
,,	,,	बेली मरकुंडी ..	१४-७-५६	१६	१३
दूधी	सिंगरोली	कुशडंड ..	१-६-५६	२५	१५
		बारिया डीह ..	१-६-५६	२०	१३
		योग ..		१,०५१	७७३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

प्रश्न संख्या २८ के सम्बन्धित सूची

१९५५-५६ में आजमगढ़ जिले में बाढ़ सहायता के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान तथा वास्तविक व्यय का विवरण--

क्रम-संख्या	हेतु	निर्धारित धनराशि	वास्तविक व्यय
		रु०	रु०
१	अहेतुक सहायता	१,७०,०००	१,६६,९७२
२	विद्यार्थियों की फीस माफी के सम्बन्ध में. .	१,५९,०००	१,५९,०००
३	गृह निर्माण के लिये अनुदान ..	९०,०००	९०,०००
४	भूसा के लिये	१५,०००	८,६५०
५	टेस्ट वर्क के लिये	१,३०,०००	४६,००१
६	भूमिहीनों को गृह निर्माण के लिए ऋण	१,५०,०००	१,३५,०००
७	कृषकों को गृह निर्माण के लिए तकावी	२,५८,५००	२,५८,०००
८	बीज के लिये तकावी ..	३,८२,०००	३,८२,०००
९	विपत्ति कालीन तकावी	१,७७,५००	१,७७,५००
	योग ..	१५,३२,०००	१४,२३,६२३

अदर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--२२२ एल० ए०—१९५६--७९६ ।